



निविदा की अनुसूची (केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद, एम.एस.टी.सी. (MSTC) के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर तथा हैदराबाद स्थित इसके अन्य परिसरों में सुरक्षा पर्यवेक्षकों, सुरक्षा गार्डों एवं पार्किंग अटेंडेंट की तैनाती की जाएगी।

ई-निविदा तथा विस्तृत निविदा सूचना एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर "Tenders" मेनू के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

2. सभी इच्छुक एवं पात्र कंपनियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी में स्वयं को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा

3. ई-निविदा का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/26/25-26/ईटी/799
कार्य का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक के हैदराबाद स्थित कार्यालय भवन एवं आवासीय परिसरों में सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड एवं पार्किंग अटेंडेंट की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध
निविदा का प्रकार / तरीका	ई-टेंडर ऑनलाइन पार्ट I - टेक्नो-कमर्शियल बिड और पार्ट II प्राइस बिड https://www.mstcecommerce.com/eprocn के ज़रिए
अनुमानित एक वर्ष की लागत	₹3,52,71,000 (तीन करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)
बयाना धन जमा (ई.एम.डी)	₹7,05,420/- (सात लाख पांच हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) (अनुमानित लागत का 2%) एन.ई.एफ.टी. के लिए विवरण IFSC कोड – RBISONEFTHY (0 शून्य है) खाता संख्या – 8614038 लाभार्थी नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद प्रतिभागियों को अपने द्वारा किए गए ई.एम.डी (EMD) का विवरण ई-मेल के माध्यम से securitycellhyd@rbi.org.in और mukeshchandra@rbi.org.in पर जमा करना होगा। बैंक गारंटी/डीडी 16 फरवरी, 2026 को 15:00 बजे से पहले प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सेल, रिज़र्व बैंक

	ऑफ़ इंडिया, मेन ऑफिस बिल्डिंग, हैदराबाद में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।
निष्पादन बैंक गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% (सफल बोलीदाता द्वारा कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के भीतर बैंक गारंटी के रूप में प्रदान किया जाना है)
समाचार पत्रों, बैंक की वेबसाइट, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में निविदा की अनुसूचीका प्रकाशन तथा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा अपलोड करना	08 जनवरी 2026 को 15:00 बजे से।
पूर्व-निविदा बैठक	03 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे ऑफ़लाइन (स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रोटोकॉल और सुरक्षा कक्ष, भूतल, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004) नोट: प्रतिभागियों को अपनी भागीदारी की पुष्टि नीचे साझा किए गए ई-मेल के माध्यम से एक दिन पूर्व करनी अनिवार्य है। securitycellhyd@rbi.org.in mukeshchandra@rbi.org.in mellimiashik@rbi.org.in
पूर्व-निविदा बैठक की कार्यवृत्त/परिशिष्ट (यदि कोई हो) का प्रकाशन	05 फरवरी, 2026
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली जमा करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	28 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे
ई.एम.डी जमा करने की अंतिम तिथि	16 फरवरी, 2026 को 15:00 बजे
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली जमा करने हेतु ई-निविदा बंद होने की तिथि	16 फरवरी, 2026 को 15:00 बजे
भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि	16 फरवरी, 2026 को 16:00 बजे
भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि	भाग-I की जाँच/परीक्षण के उपरांत निर्णय लिया जाएगा तथा पात्र निविदाकर्ताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
लेन-देन शुल्क (अप्रतिदेय)	एम.एस.टी.सी पोर्टल में निर्दिष्ट लेन-देन शुल्क का भुगतान एम.एस.टी.सी पेमेंट गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से MSTC LIMITED के पक्ष में किया जाएगा।

नोट: निविदा में भविष्य में किसी भी संशोधन/परिशिष्ट (कोरिजेंडम) के बारे में निविदा दल कृपया ध्यान दें कि केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर ही सूचना दी जाएगी और इसे किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

हैदराबाद
जनवरी 08, 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
हैदराबाद



भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष
हैदराबाद
(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

(केवल ई-निविदा)

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और हैदराबाद स्थित उसकी संपत्तियों पर निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग परिचारकों की तैनाती के लिए निविदा दस्तावेज

**ई-निविदा संख्या: आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/26 /25-26/ईटी/799
भाग- I**

निविदाकार का नाम _____

पता _____

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 16 फरवरी, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि (भाग I): 16 फरवरी, 2026 को शाम 4:00 बजे

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य, पर प्रतिलिपि बनाना, वितरित करना या रिकॉर्ड करना प्रतिबंधित है, सिवाय भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, इसमें निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।



**भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष
हैदराबाद**

(वेबसाइट: www.rbi.org.in)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक निगम), प्रोटोकॉल और सुरक्षा कक्ष, हैदराबाद ने इच्छुक पक्षों को कार्य की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरण या उनके संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे संबंधित किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी या कोई भी प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित रूप से, नहीं दिया जाता है।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की जांच-पड़ताल करनी होगी और निविदा प्रस्तुत करने वालों को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और निविदा प्रस्तुत करते समय वे केवल आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कार्य को आगे न बढ़ाने, कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। साथ ही, यह इच्छुक पक्ष से इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ही दी जाएगी और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।



भारतीय रिजर्व बैंक
शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष
हैदराबाद

अनुक्रमणिका

खंड	विवरण	पृष्ठ सं.
	भाग- I	
ए.	ई- निविदा की अनुसूची	04-05
बी.	ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	06-09
सी.	ई -निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड	10-18
डी.	निविदा का प्रारूप	19-21
ई.	व्याख्या खंड	22-23
एफ.	करार की शर्तें	24-35
जी.	निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश	36-47
एच.	अनुबंध की शर्तें एवं नियम	48-56
आई.	कार्य का दायरा	57-63
जे.	सुरक्षा संहिता	64
के.	मात्राओं की अनुसूची	65-68
	भाग II- वित्तीय बोली	69-71
	अनुलग्नक I – तकनीकी मूल्यांकन	72-74
	अनुलग्नक II – पात्रता मानदंडों के अनुसार 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित कार्यों का विवरण	75
	अनुलग्नक III – ग्राहक द्वारा ठेकेदार के प्रदर्शन का प्रमाण पत्र	76-77
	अनुलग्नक IV- प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	78-80
	अनुलग्नक V – बैंकों का विवरण	81
	अनुलग्नक V - निविदाकार द्वारा उनके पत्रशीर्ष में जमा किए जाने वाला शपथपत्र	82

खंड ए: निविदा की अनुसूची

(केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद, एम.एस.टी.सी. (MSTC) के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर तथा हैदराबाद स्थित इसके अन्य परिसरों में सुरक्षा पर्यवेक्षकों, सुरक्षा गार्डों एवं पार्किंग अटेंडेंट की तैनाती की जाएगी।

ई-निविदा तथा विस्तृत निविदा सूचना एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर "Tenders" मेनू के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

2. सभी इच्छुक एवं पात्र कंपनियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी में स्वयं को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा

3. ई-निविदा का कार्यक्रम निम्नानुसार है: -

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/26 /25-26/ईटी/799
कार्य का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक के हैदराबाद स्थित कार्यालय भवन एवं आवासीय परिसरों में सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड एवं पार्किंग अटेंडेंट की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध
निविदा का प्रकार / तरीका	ई-टेंडर ऑनलाइन पार्ट I - टेक्नो-कमर्शियल बिड और पार्ट II प्राइस बिड https://www.mstcecommerce.com/eprocn के ज़रिए
अनुमानित एक वर्ष की लागत	₹3,52,71,000 (तीन करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र)
बयाना धन जमा (ई°एम°डी)	₹7,05,420/- (सात लाख पांच हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) (अनुमानित लागत का 2%) एन.ई.एफ.टी. के लिए विवरण IFSC कोड – RBISONEFTHY (0 शून्य है) खाता संख्या – 8614038 लाभार्थी नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद प्रतिभागियों को अपने द्वारा किए गए ई.एम.डी (EMD) का विवरण ई-मेल के माध्यम से securitycellhyd@rbi.org.in और mukeshchandra@rbi.org.in पर जमा करना होगा। बैंक गारंटी/डीडी 16 फरवरी, 2026 को 15:00 बजे से पहले प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सेल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, मेन ऑफिस बिल्डिंग, हैदराबाद में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।
निष्पादन बैंक गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% (सफल बोलीदाता द्वारा कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के भीतर बैंक गारंटी के रूप में प्रदान किया जाना है)
समाचार पत्रों, बैंक की वेबसाइट, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में निविदा की अनुसूचीका प्रकाशन तथा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा अपलोड करना	08 जनवरी 2026 को 15:00 बजे से।

पूर्व-निविदा बैठक	03 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे ऑफ़लाइन (स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रोटोकॉल और सुरक्षा कक्ष, भूतल, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004) नोट: प्रतिभागियों को अपनी भागीदारी की पुष्टि नीचे साझा किए गए ई-मेल के माध्यम से एक दिन पूर्व करनी अनिवार्य है। securitycellhyd@rbi.org.in mukeshchandra@rbi.org.in mellimiashik@rbi.org.in
पूर्व-निविदा बैठक की कार्यवृत्त/परिशिष्ट (यदि कोई हो) का प्रकाशन	05 फरवरी, 2026
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली जमा करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि	28 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे
ई.एम.डी जमा करने की अंतिम तिथि	16 फरवरी, 2026 को 15:00 बजे
ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली जमा करने हेतु ई-निविदा बंद होने की तिथि	16 फरवरी, 2026 को 15:00 बजे
भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि	16 फरवरी, 2026 को 16:00 बजे
भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि	भाग-I की जाँच/परीक्षण के उपरांत निर्णय लिया जाएगा तथा पात्र निविदाकर्ताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
लेन-देन शुल्क (अप्रतिदेय)	एम.एस.टी.सी पोर्टल में निर्दिष्ट लेन-देन शुल्क का भुगतान एम.एस.टी.सी पेमेंट गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से MSTC LIMITED के पक्ष में किया जाएगा।

नोट: निविदा में भविष्य में किसी भी संशोधन/परिशिष्ट (कोरिजेंडम) के बारे में निविदा दल कृपया ध्यान दें कि केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर ही सूचना दी जाएगी और इसे किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

हैदराबाद
जनवरी 08, 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
हैदराबाद

खंड बी: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले नीचे दिए गए ई-निविदा प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों और बाद के पृष्ठों में दिए गए इस निविदा के नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

ई-निविदा प्रक्रिया :

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में विक्रेता का एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई/एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक

(मूल्य

बोली)

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (वर्शन 3) पर ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।

1) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण – विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं। विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पते पर सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें उनके पंजीकरण की पुष्टि होगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया ई-निविदा की निर्धारित तिथि से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

सम्पर्क सूत्र:

क) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

मुख्यालय केंद्रीय सहायता डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता

सभी कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि से संबंधित सभी तकनीकी समस्याओं के लिए संपर्क किया जा सकता है।

ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

(तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय) फ़ोन नंबर: (040) 23301039

ईमेल आईडी: mstchyd@mstcindia.in

ग) संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

1. मेजर मुकेश चंद्र, प्रबंधक, 040-2326 7070/ 7044069223

2. श्री मेलिमी आशिक, सहायक, पी एंड एस सेल, 040-2326 7334/ 8309726765

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।

लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट :

विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के सामने "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके या "इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क भुगतान करें" विकल्प के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। NEFT का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता चालान पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि का भुगतान करेंगे और उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। भुगतान MSTC के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा होते ही, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन ई-निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।

नोट : बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके ।

निविदाओं/संशोधनों से संबंधित जानकारी निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक केवल ईमेल के माध्यम से ही भेजी जाएगी। इसलिए, विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण के समय उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन हो । विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की वैधता सुनिश्चित करें।

एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त नहीं की जा सकती है।

ई-निविदा में बोली लगाना :

नोट : विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'मेरा' मेनू में 'दस्तावेज़ अपलोड करें' लिंक का उपयोग करें। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले एक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता संबंधित ई-निविदा के लिए 'दस्तावेज़ संलग्न करें' लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि किसी ई-निविदा के साथ दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए जाते हैं, तो आरबीआई उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता मार्गदर्शिका के निर्देशों का पालन करें।

1. अनुमानित लागत का 2% बयाना राशि (₹7,05,420/- (सात लाख पाँच हज़ार चार सौ बीस रुपये मात्र) भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक खाते में 16 फरवरी , 2026 को दोपहर 3:00 बजे या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। NEFT/RTGS लेनदेन के लिए खाते का विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद

IFSC: RBISONEFTHY (5वां शून्य है)

खाता संख्या: 8614038

भुगतान का प्रमाण और लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) संलग्न/ अपलोड करें। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान का प्रमाण और लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) securitycellhyd@rbi.org.in पर भेजें। उक्त राशि का भुगतान करते समय, टिप्पणी कॉलम में 'EMD-CAMC PRIVATE SECURITY SERVICES' अवश्य लिखें। EMD संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता की EMD निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा उचित समय में वापस कर दी जाएगी।

2. इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया शामिल है।

जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> → ई-प्रोक्योरमेंट → नया कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क → सामान्य शर्तें → दस्तावेज़ संलग्न करें → मूल्य बोली के माध्यम से इंटरनेट पर अपना तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेन-देन शुल्क और ईएमडी विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, विक्रेता के लॉगिन में दस्तावेज़ संलग्न करने और सामान्य शर्तों का टैब सक्रिय हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेता लॉट-विशिष्ट शर्तों को सहेज सकेंगे और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा कर सकेंगे या जमा की गई मूल्य बोलियों के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। यदि दस्तावेज़ संलग्न करने और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट-विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के टैब निष्क्रिय हो जाएंगे। सफल/लंबित होने की स्थिति बोली बटन में प्रदर्शित होगी।

सबसे पहले विक्रेता को यदि कोई वाणिज्यिक विनिर्देश हो तो उसे भरकर सहेजना होगा। इसके बाद विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरकर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली

पंजीकृत करने के लिए "अंतिम प्रस्तुति" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाई देगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाना चाहता है और दोबारा जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करके दोबारा जमा करना होगा और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।

संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले एक-दूसरे से और बाकी सभी से पूरी तरह गुमनाम रहेंगे।

ई-निविदा प्रक्रिया पूर्व-घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुली रहेगी।

ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति से क्रेता और बोलीदाता के बीच आपूर्ति/कार्य निष्पादन हेतु एक बाध्यकारी अनुबंध स्थापित होगा। ऐसे सफल निविदाकार को आगे आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

सभी बोलियों के साथ क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा इसे सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खरीददार बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ई-निविदा दस्तावेज़ की शर्तों और नियमों का कोई भी उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करना, ई-निविदा की शर्तों और नियमों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ई-निविदा फॉर्म में माप की इकाई (यूओएम) दर्शायी गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फॉर्म/टेंडर दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियां प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण नोट

ऑनलाइन बोली में, 1000 अक्षरों की सीमा के कारण, पूर्ण विवरण शामिल नहीं किया जा सका है, इसलिए दिया गया विवरण संक्षिप्त है। ऑनलाइन दरें उद्धृत करने से पहले, सभी ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज के भाग-I और भाग-II में दी गई प्रत्येक मद का पूरा विवरण पढ़ना आवश्यक है। निष्पादन और दर निर्धारण के लिए, निविदा दस्तावेज के भाग-II में दिए गए विवरण को ही लागू किया जाएगा।

खंड- सी: ई -निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निगमित एक वैधानिक निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसकी शाखा/कार्यालय हैदराबाद में स्थित है, प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों/पीएसए से संविदा आधार पर सुरक्षा पर्यवेक्षकों (पूर्व सैनिक/पूर्व अर्धसैनिक), सुरक्षा गार्डों और पार्किंग सहायकों की नियुक्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित करता है। ये नियुक्तियां 1 अप्रैल, 2026 से निर्धारित संविदात्मक दायित्वों के अनुसार प्रभावी होंगी। यह अनुबंध प्रारंभ में निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए)/फर्म को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक 12 महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। हालांकि, तैनात कर्मचारियों के संतोषजनक प्रदर्शन और संबंधित एजेंसी/फर्म/कंपनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन, अनुबंध को एक वर्ष और आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध का वार्षिक वेतन ₹3,52,71,000 (तीन करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) है , जिसमें जीएसटी शामिल है ।
2. पूर्व-योग्यता मानदंड: - निविदाकारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए और निविदा आवेदन के साथ इसके समर्थन में दस्तावेजी प्रमाणों की प्रतियां जमा करनी चाहिए। इनमें से किसी भी मानदंड के अनुरूप न होने वाले पीएसए पैनल में शामिल होने या शॉर्टलिस्ट होने के लिए योग्य नहीं होंगे:

ए) सुरक्षा गार्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएसए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठित कंपनियां होनी चाहिए।

बी) पीएसए की उपस्थिति तेलंगाना राज्य में होनी चाहिए और उसके पास तेलंगाना सरकार द्वारा जारी किया गया वैध पीएसएआरए लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही, हैदराबाद में उसकी एक शाखा/मुख्यालय भी होना चाहिए।

सी) पीएसए को 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 5 वर्षों से लगातार (सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के व्यवसाय में) होना चाहिए। एजेंसी को पिछले सात वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण देते हुए अपने ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, किए गए कार्य का मूल्य, कार्य प्रारंभ और समाप्ति की तिथि, और यदि कोई विलंब हुआ हो तो उसके कारण जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। एजेंसी को कम से कम पांच वर्षों के अनुभव के प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। निगमन प्रमाणपत्र, आयकर रिटर्न, पैन कार्ड आदि जैसे दस्तावेजी प्रमाणों की प्रतियां संलग्न करें।

डी) बारह महीनों के लिए अनुबंध की अनुमानित लागत लगभग 3,52,71,000/- रुपये (तीन करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) है। एजेंसी को पिछले सात वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कार्यों (सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसा कि नीचे दिया गया है (कार्य आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करें):

- i. तीन समान कार्य (निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना) जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न हो, या
- ii. दो समान कार्य (निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना) जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर या उससे कम न हो।
- iii. एक समान कार्य (निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना) जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से

कम न हो।

ई) कंपनी का वार्षिक कारोबार अनुमानित लागत के 100% (अर्थात ₹3,52,71,000) या उससे अधिक होना चाहिए, जो कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के बराबर हो।

एफ) पीएसए के पास निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों/निजी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना होनी चाहिए। निजी सुरक्षा गार्डों को पीएसएआरए-2005 अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। (पीएसए को सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों की तैनाती से पहले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना होगा)।

जी) पीएसए के पास विश्वसनीय पर्यवेक्षी अवसंरचना और नेटवर्क होना चाहिए।

एच) पीएसए के पास तेलंगाना राज्य के लिए वैध "निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005" लाइसेंस होना चाहिए। यह लाइसेंस अनुबंध की अवधि के दौरान वैध रहना चाहिए और समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

आई) पीएसए को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां जमा करनी चाहिए।

जे) पीएसए को मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन प्रस्तुत करना चाहिए।

के) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न और पैन कार्ड।

एल) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

एम) ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्रमाण पत्र (नवीनतम)।

एन) ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (नवीनतम) और/या लागू किसी भी ऐसे कानून के तहत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र ।

ओ) संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970 और/या लागू किसी भी ऐसे कानून के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र

पी) सेवा कर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्यू) मौजूदा प्रमुख नियोक्ताओं से प्रदर्शन संबंधी फीडबैक

आर) पीएसए को लागू कानूनों के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिनमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 और अन्य प्रचलित कानून/नियम/विनियम शामिल हैं; और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं ।

एस) पीएसए का हैदराबाद में एक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें टेलीफोन और फैक्स की सुविधा हो और हैदराबाद में एक 24X7 नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए।

टी) कम से कम तीन विभिन्न सरकारी संस्थानों/निकायों/प्रतिष्ठानों (आवासीय परिसरों सहित) या प्रतिष्ठित संस्थानों में मौजूदा तैनाती का अनुभव (कार्य आदेश संलग्न किए जाने चाहिए)। पीएसए को तीन संदर्भ स्थल प्रस्तुत करने होंगे और आरबीआई के अनुरोध पर, संदर्भदाताओं को आरबीआई की संतुष्टि के अनुरूप पीएसए के प्रदर्शन की पुष्टि करनी होगी।

यू पीएसए के पास कम से कम 1000 सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए। तैनात सुरक्षा गार्डों की संख्या दर्शाने वाले वैध सुरक्षा सेवा कार्य आदेश संलग्न किए जाने चाहिए।

वी) पीएसए को अनुबंध के अनुमानित मूल्य के बराबर राशि के लिए, विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य से, अपने बैंक से सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि 1 जनवरी 2026 से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

डब्ल्यू पीएसए के पास आईएसओ 9001-2008 या एसए 8000 या ओएचएसएस 1800 प्रमाणपत्रों में से कोई एक होना चाहिए।

एक्स) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में चालू खाता होना चाहिए और उन्हें यह वचन देना चाहिए कि वे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (NEFT/RTGS/ECS) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

उपरोक्त सभी पंजीकरण और प्रमाण पत्र केवल कंपनी के नाम पर ही होने चाहिए।

तकनीकी बोली - बुनियादी जानकारी

1. बोलीदाताओं द्वारा निम्नलिखित जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान की जानी चाहिए: -

क्र.सं.	अपेक्षित जानकारी	सेवा प्रदाताओं की टिप्पणियाँ	पृष्ठ संख्या
(i)	संगठन का नाम और पता (i) पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर (ii) उस कार्यालय का पता जिसके माध्यम से आरबीआई के साथ कार्य किया जाएगा। साथ ही, अधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर भी बताएं।		
(ii)	संगठन का प्रकार - (चाहे एकल स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड या सहकारी संस्था आदि हो)। स्थापना तिथि। सुरक्षा गार्ड सेवाएं प्रदान करने वाली सार्वजनिक सुरक्षा		

	एजेंसी (पीएसए) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठित कंपनियां होनी चाहिए।		
(iii)	जन जागरूकता संदेश का नाम		
(iv)	पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकारी, तिथि, संख्या आदि।		
(v)	PSA को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रस्तुत करना चाहिए।		
(vi)	पीएसए की उपस्थिति तेलंगाना राज्य में होनी चाहिए और उसके पास तेलंगाना सरकार द्वारा जारी किया गया वैध पीएसएआरए लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही, हैदराबाद में उसकी एक शाखा/मुख्यालय भी होना चाहिए।		
(vii)	PSA को 31 दिसंबर, 2025 तक कम से कम 5 वर्षों से लगातार सुरक्षा गार्ड सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय कर रहा होना चाहिए। पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देते हुए ग्राहकों की सूची प्रस्तुत करें। सूची में ग्राहक का नाम, किए गए कार्य का मूल्य, कार्य प्रारंभ और समाप्ति की तिथि, और यदि कोई विलंब हुआ हो तो उसके कारण जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। एजेंसी को कम से कम पांच वर्षों के अनुभव के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। निगमन प्रमाणपत्र, आयकर रिटर्न, पैन कार्ड आदि जैसे दस्तावेजी प्रमाणों की प्रतियां संलग्न करें।		
(viii)	अनुबंध की अनुमानित लागत लगभग 3,52,71,000 रुपये (तीन करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) है। एजेंसी को पिछले पांच वर्षों (31 मार्च, 2025 को समाप्त) के दौरान इसी प्रकार के कार्यों (सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने) को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसा कि नीचे दिया गया है (कार्य आदेशों की प्रतियां जमा करें): (i) तीन समान कार्य (निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना) जिनमें से प्रत्येक की लागत		

	<p>अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न हो या</p> <p>(ii) दो समान कार्य (सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना) जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर या उससे कम न हो।</p> <p>(iii) एक समान कार्य (सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना) जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर हो।</p>		
(ix)	<p>संगठन में तैनाती के लिए उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों का विवरण (प्रमाण प्रस्तुत करना होगा - वैध कार्य आदेश)।</p> <p>i. निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक (पूर्व सैनिक/अर्धसैनिक)</p> <p>ii. निजी सुरक्षा गार्ड।</p>		
(x)	<p>कम से कम तीन विभिन्न सरकारी संस्थानों/निकायों/प्रतिष्ठानों (आवासीय परिसरों सहित) या पांच सितारा होटलों/प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कार्यालयों में मौजूदा तैनाती का अनुभव होना चाहिए। पीएसए को तीन संदर्भ स्थल प्रस्तुत करने होंगे और आरबीआई के अनुरोध पर, संदर्भ देने वाले व्यक्ति आरबीआई की संतुष्टि के लिए पीएसए के प्रदर्शन की पुष्टि करेंगे। अनुलग्नक-III के अनुसार विवरण प्रदान किए जा सकते हैं। कृपया कम से कम तीन ग्राहकों से प्रमाण पत्र संलग्न करें, अधिमानतः सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहक जो सेवा का लाभ उठा रहे हों।</p>		
(xi)	<p>पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट</p> <p>31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएसए का वार्षिक टर्नओवर अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक होना चाहिए, जिसके लिए 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के ऑडिट किए गए बैलेंस शीट का समर्थन होना चाहिए।</p>		
(xii)	<p>कृपया बैंकर्स का नाम और पता लिखें। अनुलग्नक V के अनुसार बैंकर्स से वित्तीय स्थिति संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें।</p>		

(xiii)	कंपनी का पैन नंबर। पिछले आयकर मंजूरी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जा सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न (i) 2022-23 (ii) 2023-24 (iii) 2024-25		
(xiv)	PSA के पास विश्वसनीय पर्यवेक्षणीय अवसंरचना और नेटवर्क होना चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में पिछले तीन वर्षों के परिचालन कर्मियों, मानव संसाधन आदि के वेतन पर्ची प्रस्तुत करें। साथ ही संगठनात्मक संरचना भी प्रदान करें।		
(xv)	ईएसआई कॉर्पोरेशन से प्राप्त प्रमाण पत्र (नवीनतम)।		
(xvi)	ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (नवीनतम) और/या ऐसा कोई अन्य लागू कानून।		
(xvii)	संविदा श्रम अधिनियम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970 और/या ऐसे किसी अन्य लागू कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
(xviii)	सेवा कर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।		
(xix)	PSA के पास कम से कम 1000 तैनात सुरक्षा गार्ड होने चाहिए। (वैध कार्य आदेश संलग्न करें)		
(xx)	यदि आप प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी मुकदमे या लंबित दीवानी मुकदमे में शामिल हैं, तो उसका उल्लेख करें। आवश्यकता पड़ने पर एक अलग पत्रक संलग्न करें।		
(xxi)	क्या फर्म/कंपनी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि कटौती से संबंधित अन्य प्रावधानों या सेवा प्रदान करने से संबंधित किसी अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन कर रही है (विभिन्न प्रावधानों/अधिनियमों के अनुपालन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं)।		
(xxii)	'निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम-2005' के तहत पुलिस अधिकारियों से लाइसेंस। पीएसएआरए-2005 लाइसेंस। तेलंगाना राज्य के लिए पीएसएआरए-2005 लाइसेंस। कृपया यह		

	भी स्पष्ट करें कि तैनात कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन किया जा रहा है या नहीं।		
(xxiii)	PSA का हैदराबाद में एक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें टेलीफोन और फैक्स की सुविधा हो और हैदराबाद में एक 24X7 नियंत्रण कक्ष (आपातकालीन प्रतिक्रिया कक्ष) होना चाहिए (विवरण प्रदान करें)।		
(xxiv)	सुरक्षा पर्यवेक्षकों/गार्डों के प्रशिक्षण के लिए पीएसए के पास पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना होनी चाहिए। सुरक्षा गार्डों को पीएसएआरए-2005 अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। (पीएसए को सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों की तैनाती से पहले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना होगा।)		
(xxv)	PSA के पास ISO 9001-2008, SA 8000 या OHSAS 1800 में से कोई एक प्रमाणपत्र होना चाहिए।		
(xxvi)	पीएसए को अपने बैंकर से 3,52,71,000 रुपये (यानी निविदा की अनुमानित लागत) का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।		
(xxvii)	बैंक खाता (एमआईसीआर कोड और कृपया उस खाता संख्या का उल्लेख करें जिसमें नियुक्त किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों के वेतन के लिए फर्म को भुगतान प्राप्त होगा। साथ ही, यह भी बताएं कि क्या फर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस)-आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार है।		
(xxviii)	आवेदक को कम से कम तीन ग्राहकों से आधिकारिक सीलबंद लिफाफे में 'ग्राहक प्रमाण पत्र' जमा करना होगा। इसी प्रकार, आवेदक अपने बैंक/बैंकरों से बैंक के सीलबंद लिफाफे में 'बैंकर प्रमाण पत्र' जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ अनुलग्नक- III के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र और अनुलग्नक-V के अनुसार		

बैंकर प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न किया जाना आवश्यक है।		
--	--	--

2. विशेष निर्देश:

ए. केवल उन्हीं फर्मों की मूल्य बोलियां (भाग-II) खोली जाएंगी, जो पूर्व-योग्यता मानदंडों, आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति और ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर भाग-I दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाई जाती हैं।

बी. जांच के बाद, यदि किसी ठेकेदार के पास अपेक्षित पात्रता नहीं पाई जाती है, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाओं पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दो भागों में ई-निविदा के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। भाग-I निविदा में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी-व्यावसायिक शर्तें शामिल होंगी।

सी. ईएमडी जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

डी. निविदाओं का भाग-प्रथम 16 फरवरी, 2026 को शाम 4:00 बजे निविदाकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित रहना चाहें। निविदा का भाग-द्वितीय बाद की तिथि को खोला जाएगा, जिसकी सूचना निविदाकारों को समय रहते दे दी जाएगी।

ई. बैंक निविदाकार के ग्राहकों और बैंक प्रतिनिधियों से उसके पूर्व प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदा के भाग-द्वितीय भाग को खोलने से पहले भाग-1 में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय निविदाकार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं रखता है और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट और/या उसके बैंक प्रतिनिधियों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-1 के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदा का भाग-द्वितीय भाग नहीं खोला जाएगा तथा उसे ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

एफ. बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जी. नोट: सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में, ग्राहक की रिपोर्ट तभी स्वीकार की जाएगी जब उस पर प्रशासन प्रभारी अधिकारी या समकक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर हों और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण संलग्न हों। निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक की रिपोर्ट के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के बिना प्राप्त आवेदन/निविदाएं अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। बैंक को इन प्रमाण पत्रों का स्वतंत्र सत्यापन करने का अधिकार होगा।

एच. बोली लगाने वाले को भारत में किसी भी स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी वैधानिक प्राधिकरण/संगठन

द्वारा पिछले 5 वर्षों में, 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले किसी भी आधार पर निलंबित/सूचीबद्ध/ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए या कंपनी/संस्था या उसके निदेशकों के खिलाफ ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई होनी चाहिए।

आई. 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, न्यूनतम मजदूरी या अन्य भुगतानों जैसे वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन/कमी के लिए किसी भी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए या कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

जे. बोलीदाता ने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान निर्धारित अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/त्याग नहीं किया होना चाहिए।

के. बोलीदाता का रिकॉर्ड बेदाग होना चाहिए और वह किसी भी गैरकानूनी/अवैध गतिविधि या वित्तीय बैंकिंग धोखाधड़ी में संलिप्त नहीं होना चाहिए। बोलीदाता या उसके स्वामी/साझेदार/निदेशक (स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनी के मामले में) के खिलाफ पुलिस/अदालत/नियामक प्राधिकरणों में उपरोक्त से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।

एल. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने पात्रता मानदंड की अनुसूची पढ़ और समझ लिया है तथा उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ और समझ ली हैं तथा ये शर्तें मुझ पर बाध्यकारी रहेंगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर और नाम, मुहर सहित पता:

तारीख:

खंड डी: निविदा का प्रारूप

स्थान

तारीख.....

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
प्रोटोकॉल और सुरक्षा कक्ष
हैदराबाद-500 004.

महोदया / महोदय,

हमने ई-निविदा के लिए आमंत्रण नोटिस, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची, विभिन्न अनुसूचियाँ, अनुबंध की सामान्य शर्तें और खंड, अनुबंध की विशेष शर्तें, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश तथा उल्लिखित कार्य के लिए टेंडर दस्तावेज में अन्य सभी सामग्री को पढ़ा और जांचा है, तथा कार्य के स्थल का निरीक्षण किया है और टेंडर से संबंधित उसके सभी पहलुओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की है। हम यहां घोषणा करते हैं कि हम उल्लिखित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उल्लिखित मेमोरेण्डम में निर्धारित समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर, और अनुबंध की शर्तों, समझौते के अनुच्छेदों, विशेष निर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध की विशेष शर्तों में उल्लिखित लिखित विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, और उन सभी सामग्रियों के साथ जो उनमें प्रदान की गई हैं, तथा अन्य सभी पहलुओं में उन शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू होती हैं, पूरा करने का प्रस्ताव रखते हैं।

ज्ञापन

ए)	कार्य का वर्णन :	भारतीय रिजर्व बैंक के हैदराबाद स्थित कार्यालय भवन एवं आवासीय परिसरों में सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड एवं पार्किंग अटेंडेंट की तैनाती हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध
बी)	सीएएमसी अवधि	1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक (अनुबंध शुरू में एक वर्ष के लिए दिया जाएगा और एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के अधीन, अगले दो वर्षों वित्तीय वर्ष 2027-28 और 2028-29 के लिए वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा)
सी)	अनुमानित लागत	₹3,52,71,000 (तीन करोड़ बावन लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) एक वर्ष के लिए 18% जीएसटी सहित
डी)	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	प्रत्येक बोलीदाता से ₹7,05,420/- (सात लाख पाँच हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) (अनुमानित लागत का 2%) प्राप्त होंगे।
ई)	प्रदर्शन बैंक गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% (सफल बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रदान किया जाएगा)

2. हम भारतीय रिज़र्व बैंक में बोली के साथ ₹7,05,420/- (सात लाख पाँच हज़ार चार सौ बीस रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करने का वचन देते हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम अनुबंध को निष्पादित करने में असमर्थ रहते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। हम अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।
3. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
4. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं, जहां तक वे लागू हों, और ऐसा न करने की स्थिति में , निविदा में निहित शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को उतनी धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, जितनी कि अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ दी गई हो।
5. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
6. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें, तकनीकी विवरण, ईएमडी शामिल हैं और भाग II में केवल बैंक के प्रोफार्मा में मूल्य बोली शामिल है ।
7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा इस अनुबंध की शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं, जहां तक वे लागू हों, अन्यथा उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं ।

8. **बोली-पूर्व बैठक:**

क) इस दस्तावेज़ के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर निविदाकार पूर्व-बोली बैठक की तिथि से कम से कम एक दिन पहले इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर बैंक से लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं या पूर्व-बोली बैठक के दौरान पूछताछ कर सकते हैं।

ख) निविदाकारों के नामित प्रतिनिधियों को 3 फरवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. हमारे बैंकर :

(i)	बैंक का नाम: पता:
(ii)	बैंक का नाम: पता:

हमारी फर्म के साझेदारों के नाम इस प्रकार हैं:

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के साझेदार का नाम या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम (अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ।	
---	--

भवदीय,

दिनांक ____ माह ____ 2026

(ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर)

गवाहों के हस्ताक्षर और पते :

क्र.सं	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

नोट: सभी निविदाकार कृपया ध्यान दें कि निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ऊपर दिए गए पते पर दी जाएगी और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा ।

खंड-ई
इसके बाद संदर्भित शर्तें व्याख्या खंड

इन शर्तों, विशिष्टताओं, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

(ए)	"बैंक"	इसका तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत निगमित एक वैधानिक निगम) से होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" से तात्पर्य हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित अग्निशमन कर्मचारी सेवाएं प्रदान करने के नाम और शैली से व्यापार करने वाली फर्म से है और इसमें उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और एक दिवंगत साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" से तात्पर्य श्री _____ से है, जो अग्निशमन कर्मचारी सेवाएं प्रदान करने के नाम और शैली में व्यापार करते हैं, और इसमें उनके उत्तराधिकारी, वारिस और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" से तात्पर्य कंपनी से है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी पूर्व कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी हो और जिसका पूर्ण विकसित सेवा सेटअप हैदराबाद, तेलंगाना में हो, और इसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट भी शामिल होंगे।
(सी)	"साइट"	इसका तात्पर्य संविदा कार्यों के स्थल से है, जिसमें उस पर स्थित सामान्य परिधीय क्षेत्र और बैंक द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल है।
(डी)	"इक्रारनामा"	इससे तात्पर्य अनुबंध के अनुच्छेद, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची आदि से है, जो इसके साथ संलग्न हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।
(ई)	"निविदा"	ई-निविदा का संचालन https://www.mstcecommerce.com द्वारा किया जा रहा है।
(एफ)	बैंक का अधिकारी/कार्यवाहक	"बैंक अधिकारी/कार्यवाहक" शब्द से तात्पर्य बैंक द्वारा कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त और भुगतान प्राप्त व्यक्ति से है। ठेकेदार, बैंक अधिकारी/कार्यवाहक को कार्यों के निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगा। बैंक अधिकारी/कार्यवाहक या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को कार्यों का निर्धारण करने, अनुबंध की किसी भी शर्त को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या शिथिल करने, या किसी भी प्रकार के अतिरिक्त कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या कमी, या किसी भी अतिरिक्त कार्य को स्वीकृत करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि बैंक अधिकारी द्वारा बैंक की पूर्व लिखित सहमति से लिखित आदेश द्वारा ऐसा अधिकार

		<p>विशेष रूप से प्रदान किया गया हो।</p> <p>बैंक के अधिकारी/कार्यवाहक या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।</p>
(जी)	"लिखित सूचना"	<p>लिखित सूचना का अर्थ लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित अक्षरों में दी गई सूचना होगी, जिसे (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण न हो) पंजीकृत डाक द्वारा उस अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर भेजा गया हो, जहां सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार इसे प्राप्त किया जाना था।</p>
(एच)	"दिवालियापन का अधिनियम"	<p>इसका तात्पर्य प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट या प्रोविंशियल इनसॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियापन अधिनियम से होगा।</p>
(आई)	"कार्य"	<p>इसका तात्पर्य हैदराबाद स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और उसकी संपत्तियों पर निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग परिचारकों की तैनाती से है।</p> <p>जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है।</p>

खंड एफ करार की शर्तें

यह करार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है (जिसे इसके बाद बैंक कहा गया है) और मेसर्सजिसका पंजीकृत कार्यालय _____ हैदराबाद में है (जिसे इसके बाद " ठेकेदार " कहा गया है) के बीच -----दिन, वर्ष ----- को किया गया।

This Agreement is made on this _____ day of _____, 2026 between

M/s. _____ having its Registered Office at _____ Hyderabad, (hereinafter called the Contractor) of the One Part

And

The Reserve Bank of India, Hyderabad, having its Central Office at Mumbai, constituted under the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Hereinafter called the "The Bank") of the other part,

जबकि बैंक हैदराबाद स्थित अपने मुख्य कार्यालय परिसर और अन्य संपत्तियों पर निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों की तैनाती का कार्य सौंपने का इच्छुक है।

WHEREAS the Bank is desirous of awarding the work of Deployment of Private Security Supervisors, Private Security Guards and Private Parking Assistants at Bank's Main Office Premises and its other Properties at Hyderabad.

और जबकि ठेकेदार ने मूल ए.एम.सी. में निर्धारित शर्तों के अधीन और उनके अनुसार कार्य करने के लिए सहमति दे दी है, जो कार्य के दायरे में विस्तृत हैं और बाद में पारस्परिक रूप से सहमत होने पर परिवर्धन/लोपों द्वारा विस्तारित/संक्षिप्त किए गए हैं, मूल रूप से स्पष्ट रूप से और निहित रूप से सहमत हैं और ए.एम.सी. की प्रकृति से स्वाभाविक रूप से निकलते हैं (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद उक्त "शर्तों" के रूप में संदर्भित किया जाता है) उक्त कार्य के दायरे में वर्णित कार्यों को ए.एम.सी. दर पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि इसके तहत देय हो जाएगा (जिसे ए.एम.सी. अनुबंध राशि के रूप में संदर्भित किया गया है)।

AND WHEREAS THE CONTRACTOR HAS AGREED TO execute upon and subject to the conditions set forth in the original AMC entered into and detailed in the scope of work and as amplified /curtailed by subsequent additions/deletions mutually agreed upon, originally agreed both expressly and impliedly and also naturally flowing out of the nature of AMC (all of which are collectively hereinafter referred to as the said "CONDITIONS") the works described in the said scope of work at the AMC rate as shall become payable thereunder

(hereunder referred to as the said AMC contract amount).

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है:

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. उक्त शर्तों/एएमसी अवार्ड लेटर में निर्धारित तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त एएमसी अनुबंध राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन कार्य के उक्त दायरे में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

In consideration of the said AMC contract amount to be paid in the manner set forth in the said conditions/AMC award Letter, the Contractor shall upon and subject to the said conditions execute and complete the work described in the said scope of work.

2. बैंक ठेकेदार को माना गया अनुबंध राशि का भुगतान उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the agreed contract amount at the times and in the manner specified in the said conditions.

3. बैंक समय-समय पर प्रदान किए गए आयकर विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उचित दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटेगा और किसी अन्य क़ानून के तहत ऐसी अन्य कटौती और गैर-कटौती के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व, जैसा कि संबंधित क़ानून में समय सीमा के भीतर सूचना के माध्यम से प्रदान किया गया है और इस तरह के कर और अन्य ऐसी कटौती बैंक द्वारा की जा रही है, ठेकेदार पर होगा।

The Bank shall deduct Tax deducted at Source (TDS) at the appropriate rate as per extant guidelines of the Income Tax department provided from time to time and such other deduction under any other statute and the onus of producing appropriate certificate for non-deduction as provided in the relevant statute by way of intimation within the time limit and before such tax and other such deduction is being made by the bank shall be on the contractor.

4. महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक, संपदा विभाग, हैदराबाद बैंक की ओर से अधिकृत प्राधिकरण है।

The Deputy General Manager/ Manager, Protocol and Security Cell, Hyderabad is the Authority authorized on behalf of The Bank.

5. यहां उल्लिखित एएमसी पुरस्कार पत्र, अनुबंध और निविदा दस्तावेज इस अनुबंध का आधार होंगे।

The AMC award letter, agreement and tender document mentioned herein shall form the basis of this contract.

6. यह अनुबंध रुपये..... की दर से है। (रुपये मात्र) और 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए वैध है।

This contract is at the rate of Rs. _____ (Rupees)

___only) and valid for a period from **April 01, 2026 to March 31, 2027.**

7. ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के कार्यों/चूक के कारण या इस अनुबंध के निष्पादन के दौरान अपने कार्यों/चूक के कारण बैंक को हुई किसी भी क्षति/नुकसान की भरपाई करेगा।

The CONTRACTOR shall make good for any damages/loss caused to the Bank due to the actions/omissions of persons employed by him or because of his actions/omissions during the execution of this contract.

8. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मजदूरी में किसी भी वृद्धि पर विचार करते हुए ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सहमत होगा। मजदूरी की न्यूनतम दरों (प्लस वीडिए) को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाएगा अर्थात् हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर।

The Contractor shall agree to pay salary to his employees in accordance with Minimum Wages Act, 1948 and considering any escalation in wages as notified from time to time by the Government of India. Minimum rates of wages (plus VDA) will be revised as per the Notification issued by the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment and Director General of Resettlement from time to time i.e. 1st April and 1st October every year.

9. अनुबंध की अवधि **01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक** है, जो संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है, जब तक कि बैंक द्वारा सेवा की कमी, उपयोग की गई सामग्री की घटिया गुणवत्ता के कारण इसे कम या समाप्त नहीं किया जाता है, और अनुबंध का उल्लंघन, काम की आवश्यकता में कमी या समाप्ति पायी जाती है। अनुबंध की समाप्ति पूर्व सूचना जारी कर की जाएगी। ऐसे मामले में ठेकेदार को एक माह की नोटिस अवधि दी जाएगी और जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी।

The period of contract is **from April 01, 2026, to March 31, 2027**, subject to satisfactory performance, unless it is curtailed by or terminated by the Bank owing to deficiency of service, sub-standard quality of the materials used, and breach of contract, reduction or cessation of the requirement of the work. Termination of the contract shall be made by issuing a prior notice. In such case a notice period of one month will be given to the contractor and the security deposit shall not be refunded.

10. अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार बैंक के परिसर को खाली कर देगा और बैंक से संबंधित सभी वस्तुओं / सामग्री / संपत्ति को सौंप देगा या वापस कर देगा।

On termination of the Contract or on expiry of the Contract, the Contractor shall vacate the Premises of the Bank and shall hand over or return all the articles/ Material/ property pertaining to the Bank.

11. इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल हैदराबाद में किए जाएंगे।

All payment by the Bank under this contract will be made only at Hyderabad.

12. इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से सभी विवादों को हैदराबाद में उत्पन्न माना जाएगा और केवल हैदराबाद की अदालतों के पास ही इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

All disputes out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Hyderabad and only courts in Hyderabad shall have jurisdiction to determine the same.

13. गैर-प्रकटीकरण खंड: यह सलाह दी जाती है कि ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि के विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो कि पाठ्यक्रम के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है। इस समझौते के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष को अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए और हर समय इसे पूरे विश्वास में रखेगा। इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के कारण नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों का पीछा करने का हकदार होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति तक बने रहेंगे।

Non-Disclosure Clause: It is advised that the contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer because of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the

obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

14. उक्त शर्तों को इस समझौते के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे और खुद को प्रस्तुत करेंगे और निहित शर्तों में क्रमशः अपने हिस्से के समझौते का पालन करेंगे।

The said conditions shall be read and construed, as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by and submit themselves to the said conditions and perform the agreement of their part respectively in the said conditions contained.

15. इस अनुबंध के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है, जिसके साक्षी में ठेकेदार ने अपनी मुहर (यदि कोई हो) लगाई है और बैंक प्रस्तुतियों के माध्यम से इस करार में शामिल हुआ है इसके विधिवत अधिकृत अधिकारी और उक्त दो डुप्लीकेट्स ने इन प्रस्तुतियों को अपनी ओर से पहले दिन, महीने और साल में ऊपर लिखा है।

That the several parts of this contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor, in witness whereof the Contractor has caused its seal (if any) to be affixed hereunto and The Bank has set its hands to these presents through its duly authorized official and the said two duplicates has caused these presents hereof to be executed on its behalf the day, month and year first here above written.

16. ब्लॉक सफाई कार्य के बिलों का भुगतान **मासिक** आधार पर किया जायेगा. बिल में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

Payment of the bills will be made on **Monthly** basis. The bill must contain:

सभी सुरक्षा पर्यवेक्षकों और सुरक्षा गार्डों द्वारा हस्ताक्षरित और केयरटेकर/सहायक केयरटेकर द्वारा विधिवत प्रमाणित उपस्थिति रजिस्टर/शीट की प्रतिलिपि। Copy of Attendance Register/Sheet signed by all Security Supervisors & Security Guards and duly certified by Caretaker/Asst.Caretaker.

- ठेका श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन के लिए घोषणा।
Declaration for compliance of Contract Labour Act & Minimum Wages Act.
- कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन की विस्तृत अनुसूची/विवरण स्पष्ट रूप से संबंधित सांविधिक भुगतान (न्यूनतम वेतन, बोनस, ईपीएफ और ईएसआई) को प्रेषित करता है। Detailed schedule/breakup of salary paid to employees clearly stating respective statutory payments (Minimum Wages, Bonus, EPF and

ESI) remitted.

- ठेकेदार को वेतन सीधे अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करना चाहिए और मासिक बैंक विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य) जमा करना चाहिए जिसमें तैनात कर्मियों को किए गए वेतन (बोनस सहित) का भुगतान चालान के साथ किया गया हो।
The contractor should credit the salary directly to the bank a/c of their staff and submit monthly Bank statement (documentary evidence) showing payment of salary (inclusive of bonus) made to deployed personnel along with invoice.
- भारतीय स्टेट बैंक के ई-पे ऑर्डर जैसे किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए भुगतान की प्राप्ति की एक प्रति।
A copy of receipt of payment made by the contractor towards Employees Provident Fund to the Employees Provident Fund Organization (**EPFO**) through any scheduled bank, like e-Pay Order of the State Bank of India.
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को कर्मचारी बीमा के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए भुगतान की प्राप्ति की एक प्रति।
A copy of receipt of payment made by the contractor towards Employees insurance to the Employees' State Insurance Corporation (**ESIC**).
- संपदा विभाग के प्रभारी द्वारा निर्देशित कोई अन्य लॉग बुक/दस्तावेज।
Any other logbooks/document as directed by P&S Cell in-charge.

उपरोक्त दस्तावेजों के बिना जमा किए गए बिलों को भुगतान के लिए संसाधित नहीं किया जाएगा।

The bills submitted without the above said documents shall not be processed for payment.

17. अनुबंध में निर्दिष्ट डिग्री की कारीगरी और आरबीआई की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रगति और गुणवत्ता की दर को बनाए रखने के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में अपने श्रम को नियोजित करेगा। ठेकेदार कार्यों के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिसने अठारह (18) वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

The Contractor shall employ its employees in sufficient numbers to maintain the required rate of progress and of quality to ensure workmanship of the degree specified in the Contract and to the satisfaction of the RBI. The Contractor shall not employ in connection with the Works any person who has not completed Eighteen (18) years of age.

18. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों को ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा और

भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसे श्रमिकों / कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

All the workers or employees deployed by the contractor shall be considered as the employees of contractor and Reserve Bank of India shall not have any liability whatsoever in nature regarding such workers/employees.

19. ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को सीधे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेगा।

The Contractor shall pay to labour employed by him, directly wages not less than Minimum wages as prescribed by Minimum Wages Act 1948, Government of India and/or all the relevant laws/codes and shall follow all the relevant provisions of the, including Code on Wages, 2019, Industrial Relations Code, 2020, Code on Social Security, 2020, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and other laws/rules/regulations in force; and/or any other rules/regulations and/or statues that may be applicable to them.

20. ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रम के संबंध में उसमें प्रदान किए गए सभी मामलों के संबंध में अनुबंध श्रम विनियमन का अनुपालन करवाएगा।

The Contractor shall in respect of labour employed by him cause to be complied with the Contract Labour Regulation regarding all matters provided therein.

21. ठेकेदार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1970, का यौन उत्पीड़न के प्रावधानों कार्यस्थल पर महिला (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, या उसमें कोई संशोधन या उससे संबंधित कोई अन्य कानून और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियम का अनुपालन करेगा।

The contractor shall comply with the provisions of all the relevant laws/codes and shall follow all the relevant provisions of the, including Code on Wages, 2019, Industrial Relations Code, 2020, Code on Social Security, 2020, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Employers Liability Act, 1938 Workmen's compensation Act, 1923, Industrial Disputes Act, 1947, Maternity Benefit Act, 1970, Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and other laws/rules/regulations in force; and/or any other rules/regulations and/or statues that may be applicable to them, or any modification there of or any other law relating thereto, and rules made there under from time to time.

22. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा:

The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Reserve Bank of India against:

- a. कार्य के निष्पादन के दौरान तीसरे पक्ष के नुकसान/जीवन या संपत्ति की क्षति से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा। Any claim arising out of third-party loss/ damage to life or property caused by during execution of the work
- b. कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा लगाए गए कामगारों के नुकसान/क्षति से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा। Any claim arising out of loss/ damage to the workmen engaged by the contractor during execution of the work.
- c. लागू वेतन, पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का पालन न करने के कारण कोई दावा। Any claim due to non-compliance of applicable Wages, PF/ Labour laws, ESI, Regulations etc.

23. ठेकेदार आवश्यक बीमा कवर (कर्मचारी मुआवजा नीति), तृतीय पक्ष/सार्वजनिक देयता नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी लेगा (पहले का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) ऐसे जोखिमों के खिलाफ और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी जमा करें। (कर्मचारी मुआवजा नीति और ठेकेदार की सभी जोखिम नीति) के तहत न्यूनतम कवर अनुबंध की पूर्ति के लिए तैनात कामगार को भुगतान की गई मजदूरी की सीमा तक होगा। तीसरे पक्ष/सार्वजनिक दायित्व के तहत न्यूनतम कवर कम से कम 2 लाख रुपये का होगा।

The successful tenderer shall take "all risk (CAR) policy" for the contract value, "third party / public liability " for the contract in the joint names of the Bank and the Contractor (name of the former being placed first in the policy) and "workmen compensation policy" for the workers engaged in the work (Name and location of the work must be mentioned clearly in the insurance policy). The Minimum cover under third party / public liability shall be for a minimum of Rs.2.00 lakh per accident, for up to 5 accidents during execution of work. The Minimum cover under (Workmen Compensation Policy) shall be in accordance with the minimum wages paid to the workman deployed for the fulfilment of the contract.

24. ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों का पालन करेगा। अंतिम बिल जारी करने से पहले, ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने वास्तव में सभी प्रकार के श्रमिकों को पूरे बकाया का भुगतान किया है। उनके द्वारा इस कार्य को उस दर पर पूरा करने के लिए, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1949 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है और अनुबंध श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

The Contractor shall comply with the provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 and all the relevant laws/codes and shall follow all the relevant provisions of the, including Code on Wages, 2019, Industrial Relations Code, 2020, Code on Social Security, 2020, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 and other laws/rules/regulations in force; and/or any other rules/regulations and/or statutes that may be applicable to them. Before release of final bill, the contractor shall submit a certificate to the effect that he has actually paid the entire dues to the labourers of all descriptions engaged by him, for completion of this work at the rate, which is not less than the one prescribed under the Minimum Wages Act, 1949 and has complied with the provisions of CLRA Act with regard to providing the essential amenities to the Contract Labour.

25. ठेकेदार / एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, यदि उसके कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत होती है बैंक के परिसर में, शिकायत ठेकेदार एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

The Contractor / Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013", In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the Premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

26. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा।

Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

The Contractor / Contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employees within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor / Agency and the Contractor / Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the complaints.

Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the Contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by

the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the Contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the Contractor is proved.

The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

The Contractor shall provide a complete and updated list of its employees who are deployed within the Bank's premises.

27. ठेकेदार उन सामग्रियों/ब्रांडों का उपयोग करने के लिए सहमत है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता के होंगे। बैंक ठेकेदार द्वारा समय-समय पर उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता ऑडिट जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

The Contractor agrees to utilize materials/brands which will be of the best quality. Banks reserves the right to conduct quality audit checks of the materials used by the Contractor on a periodical basis.

28. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the Employee of the contractor is proved.

29. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

30. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

The contractor shall provide a complete and updated list of its employees who are deployed within the Bank's premises.

31. जोखिम खंड: मौजूदा व्यवस्था की किसी भी विफलता के मामले में ठेकेदार के पास अनुबंध के तहत काम करने के लिए हमेशा स्टैंडबाय व्यवस्था होगी। बैंक किसी भी समय एक महीने

की लिखित सूचना देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं और किसी अन्य चयनित निविदाकार को ठेकेदार की लागत, जोखिम और जिम्मेदारियों पर अनुबंध देने का भी अधिकार है और इस पर किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि या लंबित बिल से या एक अलग वसूली दावा करके की जाएगी।

Risk Clause: The Contractor shall always have standby arrangements for carrying out the work under the Contract in case of any failure of the existing arrangement. The Bank reserve the right for termination of the contract at any time by giving one month written notice, if the services are found unsatisfactory and also has the right to award the contract to any other selected tenderer at the cost, risk and responsibilities of Contractor and excess expenditure incurred on account of this will be recovered by the RBI, Hyderabad from the Contractor's Security Deposit or pending bill or by raising a separate recovery claim.

32. विवाद निपटान: यह पारस्परिक रूप से सहमत है कि इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी मतभेदों और विवादों को आपसी चर्चा और बातचीत से सुलझाया जाएगा यदि ऐसे विवादों और मतभेदों को चर्चा और बातचीत से सुलझाया और हल नहीं किया जा सकता है तो वही होगा बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और कोई भी कानूनी विवाद केवल हैदराबाद क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

Dispute Settlement: It is mutually agreed that all differences and disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by mutual discussions and negotiations if such disputes and differences cannot be settled and resolved by discussions and negotiations then the same shall be referred to the Sole Arbitrator appointed by the Bank whose decision shall be final and binding on both the parties and any legal dispute will be subject to Hyderabad Jurisdiction only. The Arbitration proceedings will be governed by the provision of Arbitration and conciliation Act, 1996. The governing law will be the laws of India.

33. अनुबंध का नवीनीकरण: बैंक के विवेकाधिकार पर, एएमसी को 2023-24 और 2024-25 के वर्षों के लिए आगे के नवीनीकरण के लिए समान नियमों और शर्तों के आधार पर दरों में लागू वृद्धि / कमी के साथ विचार किया जाएगा। प्रचलित न्यूनतम मजदूरी, बशर्ते बैंक, ठेकेदार की सेवाओं को संतोषजनक पाता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, सेवा शुल्क में अधिकतम अनुमत वृद्धि बैंक द्वारा तय किए गए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई सूचकांकों पर आधारित होगी।

Renewal of contract: At the sole discretion of the Bank, the AMC shall be considered for further renewal for the years 2026-27 and 2027-28 on same/revised terms and conditions based on the prevailing Minimum Wages,

provided the Bank, finds the services of the Contractor satisfactory. The decision of the Bank, in this regard shall be final and binding.

35. शासकीय भाषा: यह समझौता अंग्रेजी और हिंदी में निष्पादित किया गया है। यदि इस अनुबंध का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी संस्करण के साथ विरोधाभासी है या इसमें अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त या भिन्न शर्तें शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Governing Language: This Agreement has been executed in English and Hindi. If Hindi translation of this Agreement conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.

36. हस्ताक्षर खंड: द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया
SIGNATURE CLAUSE: SIGNED AND DELIVERED BY

ठेकेदार Contractor हस्ताक्षर मुहर Signature seal पता Address	भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राधिकृत अधिकारी Authorized Signatory of RBI पदनाम व पता Designation & Address
साक्षी Witness हस्ताक्षर Signature नाम व पता Name and Address	साक्षी Witness हस्ताक्षर Signature नाम व पता Name and Address

अनुभाग: जी - निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश

1. निविदा के भाग I और भाग II दोनों विनिर्देशों के विधिवत भरे गए विवरणों सहित ई-निविदाएँ, हैदराबाद स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और उसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों की तैनाती के कार्य के लिए, 16 फरवरी, 2026 को दोपहर 3:00 बजे से पहले MSTC वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।
2. निविदाकारों को ई-निविदा दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। ई-निविदा जमा करना ई-निविदा दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच करने और इसके निहितार्थों को पूरी तरह से समझने के बाद ही किया गया माना जाएगा।
3. ई-निविदा दस्तावेज़ / निविदा आमंत्रण सूचना www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi से डाउनलोड की जा सकती है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं के लिए निविदा दस्तावेज 28 जनवरी, 2026 को दोपहर 3:00 बजे से देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। जो बोलीदाता निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं और जिन्होंने आवश्यक ईएमडी जमा नहीं किया है, उन्हें निविदा भाग-II खोलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. **पूर्व-बोली बैठक** : - निविदा दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 4 पर निविदा अनुसूची में उल्लिखित समय और स्थान पर पूर्व-बोली बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि निविदाकारों के अनुबंध से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके / स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके और उन्हें उससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।
6. **ई-निविदा दस्तावेज़ में संशोधन**:- बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित निविदाकार द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, ई-निविदा में संशोधन कर सकता है और इसे संभावित निविदाकारों की जानकारी के लिए www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा। संभावित निविदाकारों को ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।
7. निविदा का भाग-I 16 फरवरी, 2026 को शाम 4:00 बजे खोला जाएगा। बैंक द्वारा भाग-I की जांच के बाद, पात्र निविदाकारों के लिए भाग II की निविदाएं बाद की तिथि पर सूचना सहित पात्र बोलीदाताओं को खोली जाएंगी। निविदाएं निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वैध रहेंगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और निविदाकार इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता है।
8. सभी सूचनाएँ, पत्राचार पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पी एंड एस सेल, हैदराबाद-500 004 को प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हें संबोधित किया जाएगा।
9. निविदा दस्तावेज एमएसटीसी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। यदि निविदाकार अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, तो वे इसे अपने लेटरहेड/पेपर पर दे सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके बैंक को जमा करना होगा।

10. यदि कोई भी दस्तावेज अनुपलब्ध पाया जाता है, तो बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को अमान्य घोषित कर सकता है। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

11. **बयाना राशि और निष्पादन गारंटी:** निविदाकार भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के पक्ष में ₹7,05,420/- (सात लाख पाँच हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) की बयाना राशि NEFT /RTGS के माध्यम से जमा करेंगे। अनुबंध दिए जाने पर, सफल बोलीदाता अनुबंध के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य का 5 % राशि प्रस्तुत करेंगे (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी) ।

12. ईएमडी के साथ प्रस्तुत न की गई बोलियों को "गैर-वास्तविक निविदा" माना जाएगा और आरबीआई द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि, कार्य आवंटन के एक महीने के भीतर और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा के रूप में दी गई प्रदर्शन बैंक गारंटी पूरी अनुबंध अवधि के लिए वैध रहेगी।

14. निविदाकार को केवल बैंक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों और प्रपत्रों का ही उपयोग करना होगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के पाठ में किया गया कोई भी परिवर्धन/परिवर्तन मान्य नहीं होगा और उसे अमान्य माना जाएगा।

15. निविदा प्रपत्र अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाना चाहिए और सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज अनुपलब्ध है या अनधिकृत/हस्ताक्षर रहित है, तो बैंक अपने विवेक से निविदा को अमान्य घोषित कर सकता है।

16. दरें निर्दिष्ट कॉलम में अंकों और शब्दों में उद्धृत की जानी चाहिए। निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमत नहीं है, और इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर बैंक के विवेक पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

17. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उसे अपलोड किया जाना चाहिए, और यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुबंध की सामान्य शर्तों, विशिष्टताओं, विशेष शर्तों आदि से स्वयं को भलीभांति परिचित कर लिया है।

18. किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी साझेदारों या फर्म की ओर से प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अधिकार रखने वाले साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए (अधिकार पत्र/प्राधिकरण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी)। अन्यथा, बैंक निविदा को अस्वीकार कर सकता है।

19. ठेकेदार अनुबंध का हस्तांतरण नहीं करेगा: वह बैंक की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी भाग को उप-किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को अनुबंध रद्द करने का लिखित नोटिस जारी कर सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा राशि बैंक के पास जब्त हो जाएगी, ठेकेदार के विरुद्ध बैंक के अन्य कानूनी उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20. ठेकेदार बैंक के सुरक्षा अधिकारी (पी एंड एस सेल) के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सभी कार्य करेगा। यदि बैंक के सुरक्षा अधिकारी (पी एंड एस सेल) की राय में, कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो और नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से ठेकेदार से वह परिवर्तन करवाना चाहें, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वह परिवर्तन करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए

उत्तरदायी नहीं होगा ।

21. इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवज़ा या अन्य धनराशि सुरक्षा जमा राशि से काटी जा सकती है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय न हो जाए, ऐसी कटौती के दस दिनों के भीतर नकद में काटी गई राशि की भरपाई करेगा ।

22. ठेकेदार अनुबंध को किसी और को हस्तांतरित नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक ठेकेदार को अनुबंध रद्द करने का लिखित नोटिस जारी कर सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा राशि बैंक के पास जब्त हो जाएगी।

23. सभी प्रयोजनों के लिए, सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी इस कार्यालय में नियोजित और तैनात मानव संसाधन के संबंध में विभिन्न मानव संसाधन कानूनों के अर्थ में " नियोक्ता " होगी । ठेकेदार द्वारा कार्यालय में तैनात व्यक्तियों का सक्षम प्राधिकारी के साथ स्वामी - सेवक संबंध या किसी भी प्रकार का अभिकर्ता - अधिवक्ता संबंध नहीं होगा ।

24. ई- टेंडरों का मूल्यांकन :

मूल्य बोली में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

I. वेतन घटक:

ए). कुल कर्मचारियों के लिए सकल वेतन: भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार सुरक्षा पर्यवेक्षक (कुशल) और सुरक्षा गार्ड (कुशल) का मूल वेतन (न्यूनतम) (साथ ही परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) , लागू कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) , कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और बोनस ।

II. सेवा शुल्क घटक:

बी) 73 कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए सेवा शुल्क , जिसमें ठेकेदार के ओवरहेड शुल्क और लाभ, बीमा शुल्क (श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी, ठेकेदार की सर्व - जोखिम पॉलिसी और तृतीय-पक्ष देयता पॉलिसी), श्रमिकों को वर्दी और पहचान पत्र उपलब्ध कराने का शुल्क और सफाई सामग्री की लागत या कोई अन्य व्यय शामिल है।

पात्र निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और न्यूनतम मजदूरी, सेवा शुल्क और लागू जीएसटी के योग के आधार पर सबसे कम बोली लगाने वाले का चयन किया जाएगा।

25. बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके चौदह दिनों के भीतर सफल निविदाकार मसौदा अनुबंध और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा , लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदाकार के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी , चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं ।

26. भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।

27. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने और अनुबंध करने के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपने उत्तरदायित्व और अपने खर्च पर प्राप्त करनी होगी तथा कार्य स्थल का निरीक्षण और जांच करनी होगी तथा सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य स्थल तक पहुँचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित कराना होगा।

28. भाग- II में उल्लिखित मदों की दरें जीएसटी (जीएसटी) को छोड़कर उद्धृत की जानी चाहिए, जिसमें मूल्य बोली के अंतर्गत सभी मदों के कुल योग पर 18 % जीएसटी लागू होगा। प्रत्येक चालान/बिल में अन्य बातों के साथ-साथ ठेकेदार का पैन और जीएसटी पंजीकरण संख्या अंकित होनी चाहिए। अनुबंध मूल्य पर कानून के अनुसार टीडीएस/विदहोल्लिंग टैक्स भी लागू होगा।

29. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य बैंक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा बैंक की आवश्यकताओं के अनुपालन में ही किए जाएंगे और किसी भी कारण से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। सफल निविदाकार को कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

30. पीएसए अपने सुरक्षा कर्मचारियों को तैनाती से पहले प्रभारी अधिकारी (जिन्हें नियंत्रण अधिकारी घोषित किया गया हो) या आरबीआई द्वारा समझौते के संचालन के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से परिचित कराएगा, ताकि वे उनकी नियुक्ति से पहले सत्यापन और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। पीएसए तैनाती से पहले सुरक्षा कर्मियों का पूरा विवरण/बायोडाटा पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो सहित विधिवत सत्यापित करके प्रस्तुत करेगा। आरबीआई की संपत्तियों पर तैनात किए जाने वाले पीएसए के सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड की प्रतियां और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहले ही जमा कर दिए जाने चाहिए।

31. बैंक को यह अधिकार है कि वह पीएसए से किसी भी गार्ड को हटाने के लिए कहे जो अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा हो या जिसका चरित्र संदिग्ध हो, और वह ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को तुरंत हटा देगा और उनकी जगह दूसरा गार्ड नियुक्त करेगा।

32. बैंक, पीएसए द्वारा तैनात कर्मियों के लिए बैंक परिसर में या कहीं और कोई आवासीय आवास प्रदान नहीं करेगा।

33. पीएसए द्वारा तैनात निजी सुरक्षा गार्डों के ड्यूटी पॉइंट और तैनाती का निर्णय बैंक द्वारा अपने प्रभारी अधिकारी या इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा और पीएसए को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।

34. किसी भी प्रकार की चोरी, क्षति या लूटपाट की स्थिति में, पीएसए या उनका प्रतिनिधि तुरंत बैंक के अधिकारियों को इसकी सूचना देगा और एफआईआर दर्ज कराने/उचित जांच और नुकसान की वसूली के लिए पुलिस से संपर्क करेगा। चोरी, लूटपाट आदि के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए पीएसए पूर्णतः उत्तरदायी होगा और अपने सुरक्षा गार्डों की लापरवाही, अनुपस्थिति या कर्तव्य में चूक के कारण हुई क्षति की भरपाई करेगा।

35. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि सुरक्षा गार्डों की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए और अनुपस्थिति की स्थिति में, यदि पीएसए द्वारा प्रतिस्थापन के रूप में नियुक्त कोई गार्ड दो घंटे के भीतर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होता है, तो प्रत्येक मामले में ₹ 2000/- (दो हजार मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा और पीएसए के मासिक बिलों से उचित कटौती की जाएगी। ऐसे प्रतिस्थापन गार्ड को भी मानकों को पूरा करना होगा।

36. ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान वर्दी, बेल्ट, नाम अंकित बैज और जूते पहनना अनिवार्य होगा। उक्त वर्दी, बेल्ट, बैज और जूते ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, बरसात के मौसम में ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को छाता, रेनकोट और गमबूट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

37. बैंक परिसर में तैनात सभी सुरक्षा पर्यवेक्षकों/सुरक्षा गार्डों और पार्किंग परिचारकों का पुलिस सत्यापन:

सफल निविदाकार को बैंक परिसर में तैनात प्रत्येक अग्रिशमन कर्मचारी/पर्यवेक्षक का स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से प्राप्त आवश्यक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उनके पूर्ववृत्त/पहचान

संबंधी जानकारी हो। ठेकेदार को बैंक परिसर में सभी संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले उनका पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी संविदा कर्मचारियों के नवीनीकृत पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र वार्षिक आधार पर प्राप्त करके बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

38. ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवा समाप्ति ठेकेदार के सेवा समाप्ति पत्र द्वारा की जाएगी। बैंक इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं करेगा।

39. कार्य निष्पादन हेतु सुविधाजनक स्थान पर जल एवं विद्युत निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ठेकेदार को अपने क्षेत्र में जल एवं विद्युत आपूर्ति के उपयोग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हालांकि, ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जल एवं विद्युत की अनावश्यक बर्बादी न हो। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ठेकेदार द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इस संबंध में ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर बैंक द्वारा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

40. ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान या अनुबंध समाप्त होने के बाद भी बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

41. बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार के कर्मचारी-नियोक्ता संबंध को मान्यता नहीं देता है और अनुबंध की समाप्ति के साथ ही उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।

42. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद यदि अनुबंध के किसी प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता हो, तो संशोधन लिखित रूप में किए जाएंगे और उन पर बैंक तथा ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। ये संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक दोनों पक्षों द्वारा उन पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। अनुबंध या उसकी किसी भी शर्त को समाप्त करने, संशोधित करने, विस्तारित करने, कम करने या पूरक करने के लिए कोई भी मौखिक या लिखित व्यवस्था अस्थायी मानी जाएगी और बैंक पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि उसे एक औपचारिक दस्तावेज में शामिल नहीं कर लिया जाता और बैंक तथा ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं कर दिया जाता। अनुबंध की समाप्ति के बाद बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

43. यदि ठेकेदार को सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों या अनुबंध से संबंधित किसी अन्य मामले के अर्थ के बारे में कोई संदेह हो, तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले उचित समय पर उस का विवरण लिखित रूप में बैंक को प्रस्तुत करें, ताकि निविदा प्रस्तुत करने से पहले ऐसे संदेहों को आधिकारिक रूप से लिखित में स्पष्ट किया जा सके। निविदा प्रस्तुत होने के बाद, यदि ऐसी प्रामाणिक पूर्व - स्पष्टीकरण नहीं दी जाती है, तो मामले का निर्णय निविदा की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

44. ठेकेदार अपने द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों को भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा। न्यूनतम मजदूरी (संचय भत्ता सहित) की

दरें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा समय - समय पर, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित की जाएंगी।

45. यदि किसी भी समय बैंक को यह पता चलता है कि ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है, तो बैंक को अनुबंध समाप्त करने का पूरा अधिकार है। निविदाकार को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और चालान के साथ श्रमिकों के खातों में वेतन भुगतान दर्शाने वाले खाता विवरण प्रस्तुत करने चाहिए।

46. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्षेत्र में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या निर्धारित समय सारणी के अनुसार तैनात की जाए। ठेकेदार को छुट्टी पर गए / बीमार / छुट्टी पर गए कर्मचारियों के लिए कार्य में बिना किसी बाधा के वैकल्पिक कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे। हालांकि, इस व्यवस्था का खर्च ठेकेदार के कोटेशन में शामिल होना चाहिए और इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय अवकाशों पर तैनात सुरक्षा पर्यवेक्षकों, सुरक्षा गार्डों और चालकों को ठेकेदार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा और इन खर्चों का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। मूल्य बोली प्रस्तुत करते समय इसका हिसाब रखा जा सकता है।

47. निविदाकारों को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद का दौरा करने और निविदा जमा करने से पहले साइट की स्थितियों से परिचित होने की सलाह दी जाती है।

48. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित अनुबंध की सामान्य शर्तों और कार्यक्षेत्र के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार का विचलन न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों और नियमों को स्वीकार करने से मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए निविदा मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। निर्धारित शर्तों और नियमों से विचलन वाली कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

49. ठेकेदार को सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित आवश्यकताएं भी शामिल हैं:

क) मजदूरी भुगतान अधिनियम

ख) नियोक्ता दायित्व अधिनियम, जिसमें पी.एफ. अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम आदि शामिल हैं।

ग) कामगार मुआवजा अधिनियम।

घ) संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,

ई) प्रशिक्षु अधिनियम

च) सभी प्रासंगिक कानूनों/संहिताओं का पालन करेगा और मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 और लागू अन्य कानूनों/नियमों/विनियमों सहित सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

50. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने और अनुबंध करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपने उत्तरदायित्व और व्यय पर प्राप्त करनी होगी, तथा कार्यस्थल का निरीक्षण करना होगा और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्यस्थल तक पहुँचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से अवगत होना होगा। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

51. ठेकेदार संविदा श्रम अधिनियमों या संविदा श्रम से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेगा, जो लागू हो या अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किया जा सकता है। ऐसे अधिनियमों का अनुपालन, चाहे अभी हो या बाद में, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

52. सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड और पार्किंग परिचारकों की आवाजाही केवल उनके ड्यूटी क्षेत्र तक ही सीमित होंगी चाहिए। यदि उन्हें परिसर में या उसके आस - पास कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हुई मिलती है, तो उन्हें उसे तुरंत सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करा देना चाहिए।

53. ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने या उसे पूरा करने में हुई किसी भी देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए

कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उस से संबंधित किसी उप-अनुबंध में संशोधन, परियोजना के अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देने में देरी, या ऐसे कार्यों के प्रारंभ या समापन में देरी शामिल है। नियोक्ता निविदा राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार बदलाव किए जा सकें।

54. ठेकेदार को बोली लगाने से पहले साइट का निरीक्षण करना चाहिए और कार्यक्षेत्र को समझना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वे बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/कार्यवाहक/सहायक कार्यवाहक से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।

55. ठेकेदार को एमसी समझौता केवल द्विभाषी प्रारूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी में लिखे गए समझौते के खंड ही मान्य माने जाएंगे।

56. यदि सफल निविदाकार अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकार अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो उसका नाम बैंक की अनुमोदित/सूचीबद्ध सूची से हटा दिया जाएगा और भविष्य में उसे कोई कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा।

57. बैंक, ड्यूटी पर तैनात कामगारों या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी दुर्घटना, चाहे वह घातक हो या नहीं, के लिए मुआवजे का उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु से उत्पन्न सभी दायित्व ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

58. **वेतन वृद्धि खंड:** दरें कार्य आदेश जारी होने की तिथि से अनुबंध की अवधि तक स्थिर और वैध रहेंगी तथा विनिमय दरों में बदलाव, श्रम की स्थिति, सामग्री लागत में उतार-चढ़ाव, रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी अन्य स्थिति के अधीन नहीं होंगी। यदि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि अधिसूचित की जाती है, तो ठेकेदार अनुबंध की अवधि के लिए मौजूदा मजदूरी के अतिरिक्त यह मजदूरी भी अदा करेगा। न्यूनतम मजदूरी (प्लस विक्रय भत्ता) की दरें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा समय-समय पर, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित की जाएंगी। **हालांकि, मजदूरी संशोधन के कारण अंतर की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ बिल प्रस्तुत किए जाने पर की जाएगी।**

59. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, पान/तंबाकू चबाना सख्त वर्जित है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक परिसर में तैनात कर्मचारी इस नियम का सख्ती से पालन करें।

60. ठेकेदार अनुबंध की समाप्ति/समाप्ति पर बैंक परिसर में उनके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को तुरंत हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक परिसर में किसी भी प्रकार की बाधा/अवरोध/समस्या उत्पन्न न करें।

61. ठेकेदार और उसके कर्मचारी सुरक्षा अधिकारी (पी एंड एसई) / केयरटेकर / सहायक केयरटेकर या बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य कर्मी के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में रहेंगे और परिसर में दिन-प्रतिदिन के काम के लिए उनसे आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

62. ठेकेदार किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा और न ही किसी भी तरह से अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा।

63. यदि ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध के निष्पादन हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति के वेतन के भुगतान में चूक हो

जाती है और इसके लिए श्रम प्राधिकरण के कार्यालय में दावा दायर किया जाता है तथा श्रम प्राधिकरणों को संतुष्ट करने वाला प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक ठेकेदार की ओर से उक्त श्रम प्राधिकरणों को ऐसे दावे का भुगतान कर सकता है तथा इस प्रकार भुगतान की गई कोई भी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जा सकती है।

64. ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।

65. निविदाकार को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और तैनात कर्मियों को किए गए वेतन भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण (इनवॉइस सहित) मासिक बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना चाहिए। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, या यह पाया जाता है कि निजी सुरक्षा कर्मचारियों को भुगतान कानून के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर इन कर्मचारियों को भुगतान करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी वैधानिक दायित्व के कारण ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों पर किए गए किसी भी व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

66. ठेकेदार को ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत श्रम लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

67. **अनुबंध का नवीनीकरण:** नियोक्ता के पूर्ण विवेकाधिकार पर, एएमसी को वित्तीय वर्ष 2027-28 और 2028-29 के लिए समान/संशोधित नियमों और शर्तों पर आगे नवीनीकरण के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते नियोक्ता ठेकेदार की सेवाओं को संतोषजनक पाए। इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

68. निर्धारित हर्जाना और सेवा समाप्ति

यदि समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, और/या पीएसए द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि पर्याप्त कर्मचारी न रखना, ड्यूटी पर सतर्कता न बरतना, अनुशासनहीनता और अनुचित वर्दी/पहनावा आदि (यह सूची सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं), तो समझौते की किसी भी अवधि के दौरान कुल मासिक बिल के न्यूनतम 10% के बराबर राशि एक महीने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में काटी जाएगी। यदि प्रदर्शन बाद के महीनों में भी असंतोषजनक बना रहता है, तो पीएसए की सेवाएं सात दिन या यहां तक कि 48 घंटे के संक्षिप्त नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं, जो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और उन्हें भविष्य में पैनल में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

69. मासिक बिल के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :

ठेकेदार द्वारा एक माह के लिए विधिवत प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां मासिक बिल के साथ भुगतान हेतु जमा करनी होंगी। बिलों का भुगतान **मासिक** आधार पर किया जाएगा। बिल में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए :

ए. उपस्थिति रजिस्टर/शीट की प्रति जिस पर सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर हों और कार्यवाहक/सहायक कार्यवाहक द्वारा प्रमाणित हो।

ख. संविदा श्रमिक अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन हेतु कंपनी के लेटर हेड पर घोषणा।

सी. कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का विस्तृत विवरण/विवरण जिसमें संबंधित वैधानिक भुगतानों (न्यूनतम मजदूरी, बोनस, ईपीएफ और ईएसआई) का स्पष्ट उल्लेख हो।

घ. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और तैनात कर्मियों को किए

गए वेतन भुगतान को दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट (दस्तावेजी साक्ष्य) चालान के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
ई. ठेकेदार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को किसी भी अनुसूचित बैंक के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि के लिए किए गए भुगतान की रसीद की एक प्रति, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक का ई-पे ऑर्डर।

च. ठेकेदार द्वारा कर्मचारी बीमा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को किए गए भुगतान की रसीद की एक प्रति।

जी. सुरक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार कोई अन्य लॉगबुक / दस्तावेज ।

उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए गए बिलों पर भुगतान की प्रक्रिया नहीं की जाएगी ।

70. जुर्माना: -

क. ठेकेदार को नामित बैंक कर्मचारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपस्थिति रजिस्टर /शीट बनाए रखना होगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक माह के बिलों के साथ संलग्न करनी होगी, अन्यथा कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। यदि ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहता है और उपयुक्त प्रतिस्थापन उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो अनुपस्थित कर्मचारी के वेतन के बराबर जुर्माना और इसके अतिरिक्त ₹2000/- प्रति दिन, प्रति व्यक्ति का जुर्माना बैंक द्वारा लगाया जाएगा और इसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया जाएगा।

71. वेतन संरचना:-

ए. सुरक्षा पर्यवेक्षक और निजी सुरक्षा गार्डों का वेतन ढांचा क्षेत्र ए के लिए सुरक्षा पर्यवेक्षक (हथियार सहित) और सुरक्षा गार्डों (हथियार रहित) के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम सिफारिशों के अनुसार होगा।

ख. उद्धृत एजेंसी शुल्क में ठेकेदार का लाभ और अन्य व्यय, बीमा और सभी कर (जीएसटी कर को छोड़कर) शामिल होंगे। इसका भुगतान बैंक के अधिकारियों द्वारा सेवाओं के संतोषजनक ढंग से प्रदान किए जाने के प्रमाणीकरण के बाद और सभी वैधानिक देय/करों आदि की कटौती के बाद किया जाएगा।

ग. उद्धृत सेवा शुल्क निश्चित होंगे और श्रम शर्तों, विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं होंगे। फर्म/एजेंसी अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी, इसलिए दर का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखें। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर वाले निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

घ. उद्धृत सेवा शुल्क में बीमा शुल्क (कर्मचारी क्षतिपूर्ति और तृतीय-पक्ष दायित्व), कार्य अनुबंध कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी और केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू कोई अन्य कर, शुल्क या अन्य प्रभार (चाहे वर्तमान में लागू हो या भविष्य में लागू होने वाला हो) शामिल होगा, लेकिन सेवा कर इसमें शामिल नहीं होगा। बिलों के भुगतान के समय लागू होने के अनुसार सेवा कर का भुगतान किया जाएगा।

ई. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वेतन संरचना में कोई परिवर्तन (केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी) प्रकाशित किया जाता है, तो बैंक उस पर विचार करेगा। पीएसए को इस संबंध में केंद्र सरकार की वैध अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।

72. भुगतान की शर्तें: -

i. पीएसए को कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। मानव संसाधन तैनाती के संबंध में भुगतान वास्तविक तैनाती के अनुसार किया जाएगा और फर्मों / ठेकेदारों को उपस्थिति रजिस्टर/शीट और भुगतान के प्रमाण के रूप में तैनाती का प्रमाण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। पीएसए द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अनुसार निजी सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला मासिक भुगतान प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत के बाद अगले माह के दस कार्य दिवसों के भीतर आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा। उपस्थिति पत्रक आरबीआई की प्रत्येक संपत्ति पर रखा जाएगा जहां पर्यवेक्षक और गार्ड तैनात हैं। मासिक उपस्थिति पत्रक पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उपस्थिति रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद आरबीआई

केयरटेकर/सहायक केयरटेकर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

ii. पीएसए को अगले महीने के **पांच कार्य दिवसों** के भीतर निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों को भुगतान सुनिश्चित करना होगा, और उसके बाद अगले महीने के दस कार्य दिवसों के भीतर बैंक स्टेटमेंट, वैधानिक अंशदान (ईपीएफ, ईएसआई) आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पी एंड एस सेल को बिल जमा करना होगा। सभी निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बैंक खाता होना अनिवार्य है, जिसमें पीएसए द्वारा उनका वेतन जमा किया जाना चाहिए।

iii. बैंक की आवश्यकतानुसार निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और पीएसए द्वारा उपलब्ध कराए गए गार्ड स्वयं को बैंक का कर्मचारी नहीं मानेंगे तथा बैंक और पीएसए द्वारा उपलब्ध कराए गए गार्डों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। निम्नलिखित विवरण के अनुसार आवश्यक सुरक्षा कर्मियों की संख्या बताई जाएगी और भुगतान सुरक्षा कर्मियों की वास्तविक नियुक्ति के आधार पर किया जाएगा।

iv. PSA विभिन्न RBI संपत्तियों और मुख्य कार्यालय परिसरों में तैनात गार्डों को मासिक वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्ते देने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। बैंक किसी भी कारण से, साप्ताहिक अवकाश/छुट्टी/अवकाश आदि सहित, कोई अतिरिक्त शुल्क/भुगतान नहीं करेगा।

v. यदि PSA द्वारा बैंक को बिल जमा करने में देरी होती है या PSA अपने निजी सुरक्षा गार्डों, निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों और निजी पार्किंग सहायकों को वेतन भुगतान में देरी करता है, तो PSA पर प्रतिदिन ₹2000/- (दो हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना बैंक द्वारा PSA को किए जाने वाले बिल भुगतान में समायोजित किया जाएगा।

vi. किसी भी कारण से अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंट बैंक से किसी भी प्रकार की राशि, क्षतिपूर्ति, हर्जाना या अन्य किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

vii. सफल निविदाकार को अपने कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे वेतन जमा करना चाहिए और वेतन भुगतान दर्शाने वाला मासिक बैंक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। वैधानिक नियमों के अनुसार आवश्यक पीएफ आदि सुनिश्चित किए जाने चाहिए। बैंक को आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच करने का अधिकार सुरक्षित है और तदनुसार, ठेकेदार के पास इससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। बैंक विवरण, ईएसआई और पीएफ बकाया के सहायक दस्तावेज के बिना कोई भी चालान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक चाहता है कि एजेंसी अपने कर्मचारियों को अगले महीने के कम से कम 5^{वें} कार्य दिवस तक एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से वेतन का भुगतान करे और इसके लिए उनके कर्मचारियों द्वारा एक बैंक खाता बनाए रखा जाना चाहिए।

viii. यदि ठेकेदार वैधानिक देय राशियों के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो एक महीने का नोटिस देने के बाद उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। एजेंसी तैनात कर्मचारियों को मासिक वेतन (वित्तीय बोली में उल्लिखित) का भुगतान केवल बैंक खातों के माध्यम से ही करेगी। नकद भुगतान की रसीद स्वीकार नहीं की जाएगी और नकद भुगतान को भुगतान न होने के रूप में माना जाएगा। यदि एजेंसी बैंक खाते के माध्यम से भुगतान नहीं करती है, तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

73. **सुरक्षा जमा/ प्रदर्शन बैंक गारंटी:** - सफल निविदाकार अनुबंध के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक से निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य का 5% राशि प्रस्तुत करेगा (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी)। सुरक्षा जमा के रूप में यह प्रदर्शन बैंक गारंटी ब्याज मुक्त होगी और अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध होगी।

74. **बीमा:** -

क. ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले होगा) आवश्यक बीमा कवर, जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति पॉलिसी, ठेकेदार की सर्व-जोखिम पॉलिसी और तृतीय पक्ष/सार्वजनिक देयता पॉलिसी, लेना होगा और कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी

पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करना होगा। (कर्मचारी क्षतिपूर्ति पॉलिसी और ठेकेदार की सर्व-जोखिम पॉलिसी) के तहत न्यूनतम कवर अनुबंध के निष्पादन हेतु अनुबंध मूल्य के बराबर होगा। तृतीय पक्ष / सार्वजनिक देयता के तहत न्यूनतम कवर कम से कम 2 लाख रुपये का होगा।

ख. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति से सुरक्षित रखेगा:

i. कार्य के निष्पादन के दौरान या उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को हुए जीवन या संपत्ति के नुकसान / क्षति से उत्पन्न कोई भी दावा।

ii. ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान नियोजित श्रमिकों को हुई हानि/क्षति से उत्पन्न कोई भी दावा।

iii. लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि के अनुपालन न करने के कारण कोई भी दावा।

नोट: ये बीमा पॉलिसियाँ कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक को स्वयं ये बीमा पॉलिसियाँ लेने और ठेकेदार के बिल से प्रीमियम की दोगुनी राशि के अतिरिक्त जुर्माने सहित इसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

75. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा :

क) अनुबंध या कार्यों के निष्पादन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्य प्रगति के दौरान हों या उसके पूर्ण होने के बाद, और चाहे अनुबंध की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में हों) बैंक को संदर्भित किए जाएंगे और बैंक द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में देगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है। अपवादित मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अपील नहीं की जा सकती। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना दे सकता है जिसमें विवादित मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने का अनुरोध किया गया हो। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होगा, जो विवाद या मतभेद के विषय हैं और जिनके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पक्षकारों द्वारा नामित दोनों मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में नामित करेंगे।

ख) मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को खोलने, उसकी समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार होगा, और उन सभी विवादित मामलों का निर्धारण करने का अधिकार होगा जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना उपर्युक्त अनुसार दी गई होगी।

ग) मध्यस्थ या मध्यस्थों को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समय के भीतर) अपना निर्णय देना होगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा कर लेते हैं, तो उनके द्वारा निपटारे या समझौते का संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों को ऐसे निपटारे या समझौते के अनुसार निर्णय देना होगा।

घ) ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और निर्णय से संबंधित लागतों पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्षों के बीच इसका निर्धारण करने का निर्देश दे सकते हैं और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि यह किसके द्वारा, किसे और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा।

ई) यह निवेदन भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए निवेदन माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्यों को जारी रखेगा

और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा । मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा । नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के अधिकार की पूर्व शर्त होगी । मध्यस्थता का स्थान हैदराबाद होगा।

(f) यह समझौता हैदराबाद स्थित तेलंगाना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा और भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।

खंड एच: - अनुबंध की शर्तें एवं नियम

1. उपलब्ध कराए गए सुरक्षाकर्मों ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और ठेकेदार द्वारा सभी वैधानिक दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, जैसे कि ईएसआई, पीएफ, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि। तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी।
2. ठेकेदार सभी प्रासंगिक कानूनों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आने वाली वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगा, जैसे कि सभी प्रासंगिक कानून/संहिताएं, और बैंक के लिए ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों के संबंध में लागू सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा, जिनमें मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 और अन्य कानून/नियम/विनियम शामिल हैं।
3. तैनात किए गए सुरक्षा कर्मचारियों के पूर्ववृत्त की पुष्टि बोलीदाता द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों से की जाएगी और इस संबंध में एक वचन पत्र बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. ठेकेदार एक उपस्थिति रजिस्टर रखेगा जिसमें कर्मचारियों की दैनिक तैनाती दर्ज की जाएगी। बिल जारी करते समय, प्रत्येक माह के दौरान कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती का विवरण, शिफ्टवार, दर्शाया जाना चाहिए। यह रजिस्टर बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा।
5. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियां ठेकेदार द्वारा वहन की जाएंगी।
6. सुरक्षा सेवाओं के सही और प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए और दोनों पक्षों के बीच सहमत निर्देशों के अनुसार पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा। सुरक्षाकर्मों यह सुनिश्चित करेंगे कि भवनों/परिसरों में कोई अज्ञात/लावारिस/संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति न हो। परिसर में प्रवेश करने/निकलने वाले वाहनों की पहचान की जानी चाहिए और रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। कॉलोनियों में आने वाले किसी भी आगंतुक/अतिथि के लिए, सुरक्षा गार्ड पहले कॉलोनी निवासी से जांच करेगा और उसके बाद ही आगंतुक को अंदर आने की अनुमति देगा। कॉलोनी के अंदर या बाहर ले जाने वाली सभी सामग्री के साथ गेट पास या मालिक का पत्र होना चाहिए, जिसे आधिकारिक प्रयोजन के लिए फाइल किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक और कल्याण संघ से लिखित अनुमति के बिना किसी भी दान/बिक्री आदि व्यक्ति या गतिविधि को कॉलोनी के अंदर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परिसर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी संविदा कर्मचारियों का विवरण दर्ज करने के लिए एक अलग प्रवेश/निकास रजिस्टर रखा जाना चाहिए।
7. ठेकेदार और उसके कर्मचारी परिसर के उन क्षेत्रों में नुकसान, विनाश, बर्बादी या दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित और तर्कसंगत सावधानियां बरतेंगे, जिनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
8. ठेकेदार के पास तैनात गार्डों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्वयं की व्यवस्था और तंत्र होना चाहिए, ताकि अनुबंध के तहत उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सही और संतोषजनक निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे प्रशिक्षण का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही, आरबीआई परिसर में तैनात सभी गार्डों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भविष्य में यदि किसी सुरक्षा गार्ड को बदला जाता है, तो ऐसे गार्ड का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. यदि बैंक द्वारा की गई जांच के बाद ठेकेदार की किसी चूक के परिणामस्वरूप बैंक को कोई हानि होती

है, तो ऐसी हानि की भरपाई निविदाकार को देय राशि से की जाएगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

10. ठेकेदार प्रशासन, पर्यवेक्षण और व्यवस्थाओं के संचालन से संबंधित सभी सुरक्षा सेवाएं, कार्य, मामले और चीजें बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निर्देशों के अनुसार करेगा।

11. बैंक को किसी भी ऐसे व्यक्ति को हटाने का अधिकार होगा जिसे अवांछनीय या अन्यथा समझा जाता है और इसी प्रकार ठेकेदार को बैंक की पूर्व सूचना और अनुमोदन से कर्मचारियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

12. ठेकेदार बैंक की सभी संपत्तियों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा जो उसे सौंपे गए हैं।

13. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी साफ-सुथरी वर्दी में सलीके से कपड़े पहने रहेंगे और ड्यूटी पर रहते समय हर समय फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।

14. नियुक्त किए गए निजी सुरक्षा गार्डों का शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होना चाहिए और वे अत्यंत अनुशासित छवि प्रस्तुत करें। उनकी आयु अधिमानतः 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सुरक्षाकर्मी अपना कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं कर रहा है, तो बैंक को उसे हटाने का अधिकार होगा। ऐसे सभी मामलों में ठेकेदार को उपयुक्त प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। निजी सुरक्षा गार्डों को बैंक द्वारा स्थापित/उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा बढ़ाने वाली नई तकनीकों को स्वीकार करने और उनका उपयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

15. आठ घंटे की शिफ्ट सामान्यतः सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक होगी। हालांकि, शिफ्ट का समय परिवर्तनीय है और आवश्यकतानुसार बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है। लगातार 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई दोहरी ड्यूटी होती है, तो बैंक द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में ठेकेदार के बिल से प्रति मामले 10 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकृत प्रबंधक को सुरक्षा गार्डों की सतर्कता और चौकसी की जांच के लिए प्रति सप्ताह कम से कम दो बार (रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच) किसी भी संपत्ति पर और दो बार दिन के समय अचानक निरीक्षण करना होगा। इस संबंध में एक अलग रजिस्टर परिसर में रखा जाना चाहिए और बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त न्यूनतम निर्धारित जांच न करने पर, **प्रत्येक छूटी हुई जांच के लिए प्रति साइट ₹ 20,000** का जुर्माना लगाया जाएगा। उपरोक्त की निगरानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) के माध्यम से की जाएगी और झूठे दावों के परिणामस्वरूप अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

16. ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी, आरबीआई हैदराबाद के प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रकोष्ठ के समग्र पर्यवेक्षण और निर्देशन में कार्य करेंगे। वे प्रत्येक शिफ्ट में प्राप्त किए जाने वाले गार्डों की सेवाओं का विवरण देंगे।

17. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों द्वारा संचालित वास्तविक शिफ्टों के लिए भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। यह भुगतान बैंक कॉलोनियों के केयरटेकर द्वारा विधिवत सत्यापित, पी एंड एसओ द्वारा प्रमाणित और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। बैंक द्वारा किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त श्रमिकों को उनका उचित वेतन समय पर मिले। इस संबंध में, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

क) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान अगले महीने के पांच कार्य दिवसों के भीतर करेगा। यह बैंक द्वारा बिल के भुगतान से संबंधित नहीं होगा।

ख) सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान ईसीएस / एनईएफटी / किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए, सेवा प्रदाता प्रत्येक कार्यरत कर्मचारी के लिए एक बैंक खाता खुलवाएंगे।

ग) पीएसए को कोई भी भुगतान अग्रिम रूप से नहीं किया जाएगा। सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला मासिक भुगतान पीएसए द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा, जिसे प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में अगले माह के दस कार्य दिवसों के भीतर आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा। पीएसए को बिल जमा करने से पहले निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों को भुगतान सुनिश्चित करना होगा और बिलों के साथ बैंक स्टेटमेंट आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

घ) माह का बिल जमा करते समय, सेवा प्रदाता को निम्नलिखित बातों को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र जमा करना होगा:

- i) कर्मचारियों का वेतन (दिनांक) को उनके बैंक खातों में जमा किया गया।
- ii) श्रमिकों से संबंधित ईएसआई अंशदान, जिसकी राशि _____ रुपये थी, (दिनांक) को जमा किया गया था (चालान की प्रति संलग्न है)
- iii) श्रमिकों से संबंधित ईपीएफ अंशदान राशि _____ रुपये (दिनांक) को जमा की गई (चालान की प्रति संलग्न है)
- iv) वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित सभी वैधानिक श्रम कानूनों का अनुपालन कर रहा है।
- v) ठेकेदार प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड / निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक / निजी पार्किंग परिचारक को अनिवार्य रूप से वेतन पर्ची जारी करेगा।
- vi) यदि सरकार द्वारा निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों / निजी सुरक्षा गार्डों / निजी पार्किंग सहायकों (यदि कोई हो) के वेतन ढांचे में संशोधन किया जाता है, तो लागू वेतन वृद्धि बोलीदाता द्वारा दावा किए जाने पर देय होगी।

18. बैंक अनुबंध के प्रारंभ होने से 2 से 3 दिन पहले ठेकेदार को सुरक्षा संबंधी धारणा और अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा तैनात किए जाने वाले कर्मियों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के बारे में जानकारी देगा और इस अवधि को अनुबंध के तहत भुगतान के उद्देश्य से ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित शिफ्ट के रूप में नहीं गिना जाएगा।

19. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत तैनात कोई भी कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होता है और ठेकेदार समय पर उसके स्थान पर उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो इसे अनुपस्थिति माना जाएगा और ठेकेदार के बिल से प्रति रिक्त पद 2000/- रुपये का जुर्माना काटा जाएगा। तैनात गार्डों को बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए। उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए तैनात किया जाना चाहिए। बैंक ठेकेदार पर बार-बार परिवर्तन करने की स्थिति में 6 महीने से पहले कार्यमुक्त किए गए प्रत्येक गार्ड के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाएगा (सिवाय उन मामलों के जब ऐसे परिवर्तन पी एंड एस सेल की पूर्व सूचना और सहमति से किए गए हों)। आरबीआई ड्यूटी के लिए तैनात निजी सुरक्षा गार्डों का विवरण साझा करना होगा। विवरण साझा करने के लिए एक नमूना प्रारूप नीचे दिया गया है।

(नमूना)

नाम: XXX		सुरक्षा क्षेत्र में अनुभव: XX वर्ष
पिता का नाम: XXX		वैवाहिक स्थिति: विवाहित
कर्मचारी आईडी: XXX		नागरिकता: भारतीय

ईपीएफ क्रमांक: XX/XXXXX/XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ईएसआईसी क्रमांक:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
आयु: XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
जन्मतिथि: dd/mm/yyyy		वर्तमान पता
योग्यता: XXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
पद: सुरक्षा पर्यवेक्षक/ गार्ड		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
पोस्ट की गई साइट:		ज्ञात भाषाएँ:
आरबीआई मुख्यालय ____/ मुख्य कार्यालय		हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी
तैनाती तिथि : dd/mm/yyyy		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
रक्त समूह: XX		आपातकालीन संपर्क:
पहचान चिह्न: XXXXXXXXXXXXXXX		

20. यदि ठेकेदार के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार/दुर्व्यवहार से संबंधित कोई सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होती है और बैंक द्वारा उसे सत्य पाया जाता है, तो प्रत्येक घटना के लिए ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि ठेकेदार के बिल से काट ली जाएगी। इसके अलावा, घटना में शामिल पाए गए सुरक्षा गार्ड को तत्काल परिसर से हटा दिया जाएगा।

21. यदि ठेकेदार अनुबंध में निर्धारित अनुसार कार्य शुरू करने/निष्पादित करने में विफल रहता है या असंतोषजनक प्रदर्शन करता है या अनुबंध की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो बैंक को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है:

- ऑर्डर/समझौते की वार्षिक लागत का 1% प्रति सप्ताह, अधिकतम चार सप्ताह की देरी के लिए।
- चार सप्ताह की देरी होने पर बैंक अनुबंध रद्द करने और अनुबंध को रोककर खुले बाजार में अन्य ठेकेदारों से यह काम करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि कोई अंतर हो तो वह दोषी ठेकेदार से वसूल किया जाएगा और उसकी अग्रिम राशि/सुरक्षा जमा भी जब्त की जा सकती है।

22. **गोपनीयता खंड** : एजेंसी इस अनुबंध के अंतर्गत संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और इसे हर समय अत्यंत गोपनीय रखेगी। एजेंसी अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करने या लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो। एजेंसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य किसी भी स्थान पर कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगी, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगी और न ही प्रकट करेगी। गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाली किसी भी हानि के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। उपरोक्त का पालन न करना एजेंसी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। एजेंसी अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण न करने संबंधी दायित्वों का पूर्णतः पालन हो। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता बनाए रखने संबंधी एजेंसी के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या किसी भी कारण से निरस्त होने के बाद भी लागू रहेंगे।

23. ठेकेदार द्वारा इसमें निहित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन/अवरोध या अवहेलना की स्थिति में, एजेंसी की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

24. ठेकेदार के कर्मचारियों के किसी भी कृत्य के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी मुकदमेबाजी (उपभोक्ता न्यायालयों में होने वाली मुकदमेबाजी सहित) से उत्पन्न होने वाली कोई भी देनदारी, सभी खर्चों/जुर्माने सहित, सीधे ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। संबंधित ठेकेदार के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उपस्थित होंगे।

25. **अप्रत्याशित घटना:** यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना (जैसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, आंधी, दैवीय आपदा आदि) के अधीन हो जाता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करने से रोकती है, तो प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना की सूचना तुरंत देगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में अनुबंध समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र अनुबंध के तहत दायित्वों को पुनः आरंभ किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन घटना के कारण पारस्परिक रूप से सहमत अवधि (यदि कोई हो) या सात दिनों (जो भी अधिक हो) से अधिक समय तक बाधित या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

26. ठेकेदार को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों के सही और संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के प्रतिष्ठान/सेटअप/तंत्र आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

27. यदि ठेकेदार एक पंजीकृत कंपनी/दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी है, तो ऐसे सभी व्यक्ति अनुबंध की शर्तों के पालन के लिए बैंक के प्रति संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने में से किसी एक को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नामित करेंगे। बैंक की अनुमति के बिना कंपनी/साझेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

28. अनुबंध की अवधि के दौरान, यदि ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को बैंक कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या संपत्ति की हानि का कारण बनता है, तो बैंक ठेकेदार की प्रदर्शन गारंटी (सुरक्षा जमा) को विधिवत जब्त करते हुए अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा।

29. ठेकेदार किसी भी प्रकार से ऐसे उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा या अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

30. ठेकेदार अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कार्यों/सेवाओं से उत्पन्न होने वाले या उनके परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, क्षति, हानियों और व्ययों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे हानिरहित रखेगा।

31. बोलीदाता को किसी अन्य नियोक्ता के संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत पंजीकरण की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसी वर्तमान में संविदा श्रम के माध्यम से काम कर रही है।

32. यह सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाओं के प्रावधान हेतु नियुक्त सभी व्यक्ति अधिकृत बीमा कंपनियों से बीमित हों, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अनुबंध के निष्पादन के दौरान व्यक्तियों को होने वाली किसी भी क्षति/चोट के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति, पशु या अन्य वस्तु को होने वाली किसी भी चोट या क्षति तथा उससे संबंधित किसी भी दावे के लिए पीएसए जिम्मेदार होगा।

33. ठेकेदार निजी पार्किंग सहायकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों की दृष्टि, श्रवण, शारीरिक

विकारों और संक्रामक रोगों के लिए जांच करवाएगा और इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। किसी भी संदेह की स्थिति में बैंक किसी की भी पुनः जांच करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ कर्मियों को ही ऊ्यूटी पर तैनात किया जाएगा। इस संबंध में उल्लंघन दंडनीय होगा।

34. ठेकेदार द्वारा नियुक्त निजी सुरक्षा कर्मचारी किसी भी कर्मचारी संघ और संघ की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

35. ठेकेदार निम्नलिखित सेवाओं पर होने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा, अर्थात् सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी (नाम बैज, बेल्ट और जूते सहित), टॉर्च और सेल, लाठी/बल्लाम और ऐसे अन्य उपकरण उपलब्ध कराना, सुरक्षा चौकियों पर ऊ्यूटी चार्ट और रजिस्टर लिखने के लिए स्टेशनरी और आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड रखना।

36. बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को आवासीय सुविधा या चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

37. अनुबंध की समाप्ति के बाद बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। बैंक ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के साथ कर्मचारी-नियोक्ता संबंध को मान्यता नहीं देता है

38. यदि निविदा के अंतर्गत एजेंसी द्वारा किए गए या कथित रूप से किए गए किसी कार्य के संबंध में भुगतान पश्चात् लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कोई अधिक भुगतान पाया जाता है, तो बैंक द्वारा एजेंसी से उसकी वसूली की जाएगी।

39. बोलीदाता इस अनुबंध के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा। बोलीदाता प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण के रूप में पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और ठेकेदार द्वारा उत्पन्न होने वाले कर, ब्याज, जुर्माना आदि के दायित्व के लिए नियोक्ता को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। ठेकेदार सभी लागू वैधानिक दायित्वों, जैसे श्रम कानूनों आदि का भी अनुपालन करेगा।

40. बोलीदाता अनुबंध की अवधि के दौरान या अनुबंध समाप्त होने के बाद भी, बैंक आदि द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रासंगिक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

41. बोलीदाता को पिछले महीने के वैधानिक देय राशियों के भुगतान को दर्शाने वाले चालानों के प्रमाण/प्रतियाँ मासिक बिलों के साथ संलग्न करनी होंगी।

42. बोलीदाता के पास हैदराबाद शहर में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अपनी त्वरित प्रतिक्रिया टीम (वाहन सहित) होनी चाहिए

43. आरबीआई, हैदराबाद एजेंसी को देय राशि से स्रोत पर कर और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य सभी वैधानिक कर/सेवा कर/जीएसटी शुल्क आदि की कटौती करेगा।

44. यदि बैंक को यह जानकारी मिलती है कि एक ही कर्मचारी को लगातार दो ऊ्यूटी/शिफ्ट में तैनात किया गया है, तो बैंक एजेंसी को भुगतान से इनकार करने और प्रत्येक मामले में ₹ 2000/- का जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

45. एजेंसी अपने तैनात कर्मचारियों द्वारा किसी भी गैरकानूनी कृत्य या अव्यवस्थित आचरण को रोकने के

लिए सभी उचित सावधानियां बरतेगी और हैदराबाद स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक की शांति और व्यक्तियों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

46. एजेंसी अपने कर्मचारियों को इस प्रकार तैनात करेगी कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश मिले। उनके कार्य घंटे/अवकाश, जिसके लिए उनसे काम लिया जाता है, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते। एजेंसी तैनात सुरक्षा कर्मचारियों और पार्किंग कर्मियों की अनुपस्थिति/अवकाश आदि की स्थिति में समान रूप से योग्य और सक्षम कार्यवाहक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। एजेंसी अपने कर्मचारियों के साथ सभी व्यवहारों में सभी मान्यता प्राप्त त्योहारों, अवकाश के दिनों और धार्मिक या अन्य रीति-रिवाजों का उचित सम्मान करेगी। यदि एजेंसी संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और सभी संबंधित कानूनों/संहिताओं के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है या चूक करती है, जिसमें मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू कानून/नियम/विनियम शामिल हैं, या उक्त विनियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने, या कोई विवरण प्रस्तुत करने या भरने में कोई चूक करती है, जिसके कारण उसे कोई गंभीर हानि होती है, तो वह किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को किसी भी व्यक्ति/ग्राहक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करेगी।

47. अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर एजेंसी अपने द्वारा तैनात सभी कर्मियों को भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के परिसर से हटा देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में किसी भी प्रकार की बाधा/अवरोध/समस्या उत्पन्न न करें, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से।

48. एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार के दावों के लिए एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। यदि एजेंसी द्वारा तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ता है, तो उसका मुकाबला करना एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामले का मुकाबला करना होता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को वकील की फीस और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान एजेंसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को मांग पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देनदारी न आए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

49. भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद की आधिकारिक संपत्ति को तैनात कर्मियों की लापरवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान की भरपाई एजेंसी से की जाएगी और एजेंसी को उचित सूचना देने के बाद ही इसकी गणना की जाएगी। इस संबंध में निर्णय बैंक द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, एजेंसी को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

50. भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी और सुरक्षा से संबंधित मामलों की सूचना तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के नामित अधिकारी को देनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद की सुरक्षा से संबंधित सभी चल और अचल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और यदि बेईमानी और/या एजेंसी या उसके कर्मचारी(यों) की किसी चूक के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को कोई हानि होती है, तो एजेंसी मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को हानि की भरपाई करेगी। एजेंसी को आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के परामर्श से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

51. यदि इस समझौते के निर्माण, इसमें निहित किसी भी बात या इससे उत्पन्न किसी भी बात, या उक्त पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों के संबंध में किसी भी समय पक्षों के बीच कोई विवाद, मतभेद या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। यदि एजेंसी ऐसी नियुक्ति के लिए सहमत नहीं होती है, तो दोनों पक्ष एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और मध्यस्थ फिर पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधान लागू होंगे, और मध्यस्थ/मध्यस्थों के पैनल के निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, सभी विवाद, मतभेद या प्रश्न, यदि कोई हों, हैदराबाद में उत्पन्न हुए माने जाएंगे और केवल हैदराबाद के न्यायालयों को ही इनका निपटारा करने का अधिकार होगा।

52. यदि एजेंसी इस नियुक्ति के लिए सहमत नहीं होती है, तो दोनों पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और मध्यस्थ फिर पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेगा। मध्यस्थ/मध्यस्थों के पैनल का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा। मध्यस्थता का स्थान हैदराबाद होगा। इसके अलावा, सभी विवाद, मतभेद या दावे, यदि कोई हों, हैदराबाद में उत्पन्न हुए माने जाएंगे और केवल हैदराबाद के न्यायालयों को ही उनका निपटारा करने का अधिकार होगा। मध्यस्थ आवश्यकतानुसार अंतरिम निर्णय और/या निर्देश दे सकता है।

53. एजेंसी अपने द्वारा तैनात कर्मियों से भर्ती शुल्क आदि के रूप में कोई भी राशि नहीं लेगी।

54. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि तैनात व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद की किसी भी संपत्ति को बैंक के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना परिसर से बाहर न ले जाने दें।

55. तैनात किए गए कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों और अन्य सुरक्षा उपायों, जिनमें प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ और अग्निशमन अभियान शामिल हैं, में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। एजेंसी को प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्डों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

56. एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

ए. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी ही एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर के भीतर किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर, शिकायत एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

बी. एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

सी. यदि घटना में एजेंसी के कर्मचारी शामिल हैं, तो एजेंसी किसी भी प्रकार के मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी, उदाहरण के लिए, यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत दी जाएगी।

डी. एजेंसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

ई. एजेंसी अपने उन सभी कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगी जो बैंक परिसर के भीतर

तैनात हैं।

57. **कर्तव्य एवं अनुशासन** : सुरक्षा एजेंसी निम्नलिखित का पालन करने के लिए बाध्य होगी:

क. हैदराबाद स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के परिसर में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति न देना या उसे जारी न रखना तथा अनुशासनहीनता उत्पन्न न करना।

ख. अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति और पुनर्नियोजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना और इस संबंध में सभी घटनाक्रमों की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद को देना।

ग. अपने कर्मचारियों के सभी बकाया का भुगतान करना और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद को किसी भी दायित्व से मुक्त और क्षतिपूर्ति से सुरक्षित रखना।

घ. अपने कर्मचारियों के व्यवहार, उनकी वेशभूषा और वर्दी के लिए जिम्मेदार होना तथा भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद और उसके प्रतिनिधियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति अच्छे आचरण, सहयोग और अनुशासन को सुनिश्चित करना।

ङ. अपने उन कर्मचारियों के खिलाफ उचित सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जिनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।

च. यह सुनिश्चित करना कि उसके कर्मचारी इच्छानुसार सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

छ. पीएसए का कोई भी कर्मचारी शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होगा। बैंक परिसर में रहते हुए तंबाकू, पान मसाला और इसी तरह के पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। इस शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त पीएसए कर्मचारी को आरबीआई परिसर से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। ड्यूटी पर रहते हुए स्मार्टफोन का उपयोग करना प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर प्रति बार ₹1000/- का जुर्माना लगेगा।

58. अनुबंध की समाप्ति पर, एजेंसी अपने कर्मचारियों को सभी वैधानिक भुगतान करने और अन्य सभी वैधानिक दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगी तथा भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के पक्ष में उपयुक्त मुक्ति प्राप्त करेगी ताकि भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद पर कोई दायित्व या देनदारी न आए।

59. कोई भी घटना जो बैंक और उसकी संपत्तियों को उच्च जोखिम में डालती है और जो पीएसए और उसके कर्मचारियों के कारण हुई है, उसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा एजेंसी को एक आधिकारिक चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा।

60. यह अनुबंध 31 मार्च, 2027 तक वैध रहेगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने निविदाकारों के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है और इनका पालन करेंगे/करेंगे।

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

स्थान:

नाम और पता, संपर्क नंबर सहित:

खंड -आई: कार्य का दायरा

1. कार्यों का विस्तृत दायरा :

ए)	तैनाती के क्षेत्र	भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद - मुख्य कार्यालय परिसर अमीरपेट, बेगमपेट में बैंक की आवासीय कॉलोनियाँ, मुशीराबाद, रेडहिल्स और येलारेड्डीगुडा।
बी)	कार्य के घंटे	पहली शिफ्ट – सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दूसरी शिफ्ट – सुबह 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक तीसरी शिफ्ट – रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक
सी)	श्रमशक्ति	कुल 73 सुरक्षा कर्मचारी जिनमें 4 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं पर्यवेक्षक और 3 पार्किंग परिचारक।

2. निजी सुरक्षा एजेंसी के कार्य का दायरा

ए) ठेकेदार को बैंक की आवासीय कॉलोनियों में चौबीसों घंटे सुरक्षा सेवाएं प्रदान करनी होंगी और हैदराबाद स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर में दिन/सामान्य शिफ्ट में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करनी होंगी। सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डों की विस्तृत ड्यूटी सूची तैनाती से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी।

बी) एजेंसी बैंक की संपत्तियों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, हथियारों के साथ या बिना हथियारों के अतिक्रमण को रोकेगी, विभिन्न चौकियों पर रात्रि गश्त सहित निगरानी और सुरक्षा कार्य करेगी और एमओपी और आरबीआई, हैदराबाद की संपत्तियों के अंदर आवारा पशुओं, असामाजिक तत्वों, अनधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश को रोकेगी।

सी) अनुबंध में शामिल बैंक की संपत्तियों की समग्र सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी। सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की चूक न हो।

डी) गार्डों/सुरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती समय-समय पर बैंक के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार होगी और सुरक्षा एजेंसी उनके अधिकतम उपयोग के लिए जिम्मेदार होगी।

ई) निजी सुरक्षा गार्डों/निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों को मौके पर उपलब्ध अग्निशामक सिलेंडरों और अन्य अग्निशामन सामग्री की सहायता से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में अग्निशामन कर्मचारियों की सहायता भी करेंगे। आपातकालीन स्थितियों में, तैनात निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक/निजी सुरक्षा गार्ड भी भाग लेंगे और उन्हें ऐसी स्थितियों में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

एफ) बैंक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य/जिम्मेदारियां भी अनुबंध में शामिल की जा सकती हैं। वे भी ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगी।

जी) यह सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी बैंक परिसर में रहते हुए या अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन

के मानकों का पालन करें और बैंक ही इस बात का एकमात्र निर्णायक होगा कि ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों ने इनका पालन किया है या नहीं।

3. निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक के लिए पात्रता मानदंड: -

निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना चाहिए:

ए) निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक पूर्व सैनिक या पूर्व अर्धसैनिक कर्मी होने चाहिए, जिनका पद जेसीओ/हवलदार (सेना/वायु सेना/नौसेना/अर्धसैनिक बल में समकक्ष) हो और जिनकी अधिकतम आयु 50 वर्ष हो।

बी) आयु: 40 से 50 वर्ष।

सी) शिक्षा: न्यूनतम 12वीं कक्षा (एचएससी) उत्तीर्ण; डिप्लोमा/डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु का कार्यसाधक ज्ञान।

डी) राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक।

ई) अनुभव: - निजी सुरक्षा क्षेत्र में 2 से 5 वर्ष का अनुभव, अधिमानतः पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारियों के साथ।

एफ) शारीरिक फिटनेस: - गश्त और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(जी) सत्यापन एवं दस्तावेज़ीकरण: - पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और फोटो।

एच) कौशल / व्यावसायिक योग्यता : - क्षमता:

i) गार्डों की एक टीम की निगरानी करना

ii) ड्यूटी रोस्टर तैयार करें

iii) आपातकालीन स्थितियों से निपटना

iv) लॉगबुक और घटना रिपोर्ट बनाए रखें

v) आरडब्ल्यूए/सुविधा प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करें

vi) सीसीटीवी संचालन, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली और अग्निशमन की बुनियादी जानकारी।

i) अतिरिक्त आवश्यकताएँ (वैकल्पिक लेकिन अनुशंसित):- अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, आगंतुक और वाहन प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल्स और संचार का बुनियादी ज्ञान, अपार्टमेंट प्रबंधन सॉफ्टवेयर (मायगेट) से परिचित होना।

4. निजी सुरक्षा गार्डों के लिए पात्रता मानदंड: -

निजी सुरक्षा गार्डों को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना चाहिए:

ए) आयु: निजी सुरक्षा गार्डों की सभी श्रेणियों के लिए आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बी) शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 12वीं कक्षा (एचएससी) उत्तीर्ण; डिप्लोमा/डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु का कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है।

सी) राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक।

डी) अनुभव: - निजी सुरक्षा या संबंधित क्षेत्र में 1-2 वर्ष का अनुभव वांछनीय है।

ई) शारीरिक फिटनेस: - गश्त और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक है।

एफ) सत्यापन एवं दस्तावेज़ीकरण: - पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और फोटो।

जी) कौशल / व्यावसायिक योग्यता : - क्षमता:

- i) गेट की आवाजाही नियंत्रण
- ii) आगंतुक प्रबंधन
- iii) आपातकालीन स्थितियों से निपटना
- iv) गश्त करना
- v) आरडब्ल्यूए/सुविधा प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करें
- vi) सीसीटीवी संचालन, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली और अग्निशमन की बुनियादी जानकारी।

एच) **अतिरिक्त आवश्यकताएँ** (वैकल्पिक लेकिन अनुशंसित): - अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, आगंतुक और वाहन प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल्स और संचार का बुनियादी ज्ञान, अपार्टमेंट प्रबंधन सॉफ्टवेयर (मायगेट) से परिचित होना।
आई) पूर्व सैन्यकर्मि (सेना/अर्धसैनिक बल/पुलिस) उम्मीदवारों को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाएगी; अनुभव की आवश्यकता में छूट दी जा सकती है।

5. निजी पार्किंग सहायकों के लिए पात्रता मानदंड: -

- ए) शैक्षणिक योग्यता: - न्यूनतम योग्यता: 12वीं कक्षा - अंग्रेजी/हिंदी/तेलुगु में बुनियादी निर्देशों, साइनबोर्ड और वाहन पंजीकरण विवरण को पढ़ने और समझने में सक्षम होना चाहिए।
- बी) आयु सीमा- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष। अधिकतम आयु: 45 वर्ष (योग्यता के आधार पर अनुभवी उम्मीदवारों के मामले में आयु सीमा में छूट दी जा सकती है)।
- सी) ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव: - सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध और वर्तमान लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- डी) अनुभव: - वाहन चलाने और संभालने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अधिमानतः संस्थागत, कॉर्पोरेट या सरकारी संस्थानों में। विभिन्न प्रकार की कारों (मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) से परिचित होना वांछनीय है।
- ई) शारीरिक फिटनेस: - उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। चयन के समय किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- एफ) आचरण एवं चरित्र: - सक्षम प्राधिकारी से चरित्र एवं पूर्ववृत्त (सी एंड ए) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लापरवाही से वाहन चलाने, आपराधिक मामले या मादक द्रव्यों के सेवन का कोई इतिहास न हो और आवेदक का रिकॉर्ड साफ-सुथरा होना चाहिए।
- (vii) कौशल एवं व्यवहारिक लक्षण: - कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ बातचीत करते समय विनम्र और शिष्ट रवैया रखना चाहिए।
- (जी) पार्किंग नियमों, यातायात संकेतों और सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की क्षमता। वाहन पार्किंग की बुनियादी जानकारी, सीमित स्थानों में आवागमन और सुरक्षा कर्मियों के साथ समन्वय का ज्ञान होना चाहिए। समय का पाबंद, अनुशासित और सुव्यवस्थित होना चाहिए।
- एच) अतिरिक्त वांछनीय गुण: - कार्यालयों, होटलों या संस्थानों में पार्किंग प्रबंधन या वैलेट सेवाओं का अनुभव होना बेहतर होगा। वाहनों के रखरखाव और स्वच्छता की बुनियादी समझ (जैसे, टायर प्रेशर, ईंधन स्तर आदि की जांच करना) एक अतिरिक्त लाभ होगा।

आई) सत्यापन: - नियुक्ति से पहले सभी दस्तावेजों (लाइसेंस, पहचान पत्र, पता प्रमाण और पुलिस सत्यापन) का सत्यापन किया जाना चाहिए।

6. सुरक्षा पर्यवेक्षक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां:-

- i) निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक उस संपत्ति की संपूर्ण सुरक्षा और वहां तैनात सुरक्षा गार्डों के कार्यों के लिए उत्तरदायी है जहां उसकी तैनाती है। ड्यूटी रोस्टर तैयार करना और प्रबंधित करना तथा सुरक्षा गार्डों की शिफ्ट-वार तैनाती की निगरानी करना उसका कर्तव्य है। प्रत्येक शिफ्ट से पहले गार्डों को ब्रीफिंग देना। यह सुनिश्चित करना कि गार्ड अनुशासित, समय के पाबंद और उचित वर्दी में हों।
- ii) दिन की शुरुआत में वह सुरक्षा गार्डों से पिछली रात के बारे में पूरी जानकारी लेगा और अपनी ड्यूटी पूरी करके जाते समय आने वाले निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक को किए जाने वाले कार्यों और लंबित कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से विस्तृत जानकारी देगा।
- iii) वह मुख्य द्वार पर तैनात गार्डों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि केवल अधिकृत प्रवेश और निकास के माध्यम से ही व्यक्तियों, सामग्री और वाहनों का आवागमन हो। अधिकृत किए बिना किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।
- iv) ड्यूटी पर वापस आने के बाद, निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति की जाँच करेगा, प्रत्येक गार्ड को उसके पद के कर्तव्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देगा और संबंधित पदों के लिए लागू होने वाले किसी भी विशिष्ट निर्देश को बताएगा। ड्यूटी पर तैनात गार्ड की गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे ड्यूटी पर वापस आने से पहले उनके मन में अच्छी तरह से बिठा देना आवश्यक है।
- v) अपने कार्यकाल के दौरान वह सभी आने-जाने वाले कामगारों, संविदा श्रमिकों, ठेकेदारों और विक्रेताओं की जाँच की निगरानी करेगा। नौकरानियों, ड्राइवरों, रसोइयों, डिलीवरी कर्मियों और सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और सत्यापन करेगा। विक्रेताओं के पहचान पत्र का रिकॉर्ड रखेगा और अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश से रोकेगा।
- vi) सार्वजनिक क्षेत्रों, खुले स्थानों, पार्किंग क्षेत्रों और चारदीवारी की नियमित रूप से पैदल गश्त करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में, पहले सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करें और साथ ही कार्यवाहक और सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दें।
- vii) मुख्य द्वारों की देखरेख और उच्चतम स्तर की साफ-सफाई सुनिश्चित करें और नियमित कार्य के लिए तैनात सभी सुरक्षा उपकरणों और यंत्रों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें।
- viii) वह स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर पालिका विभाग, अस्पतालों, कार्यवाहक, सुरक्षा अधिकारी और आरडब्ल्यूए के साथ संपर्क बनाए रखेगा और होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में हमेशा अपडेट रहेगा और इसकी सूचना अपने सुरक्षा गार्डों को देगा।
- ix) आगंतुकों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी सुरक्षा गार्ड आने-जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ शालीन और विनम्र व्यवहार बनाए रखें।
- x) वह किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने में सहायता/मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।
- xi) उसे अग्नि सुरक्षा संचालन और प्राथमिक चिकित्सा का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसे कॉलोनियों में स्थापित विभिन्न अग्निशामक यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वह किसी भी दुर्घटना या अग्नि आपात स्थिति में अपने उपलब्ध कर्मचारियों के साथ सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वह सुरक्षा गार्डों को अग्नि सुरक्षा और

प्राथमिक चिकित्सा का नियमित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

- xii) उसे अपने कर्मचारियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर अचानक निरीक्षण करना चाहिए।
- xiii) वह निर्धारित प्रारूपों के अनुसार शिफ्ट दस्तावेज़ीकरण बनाए रखेगा, आगंतुकों से मिलेगा और आगंतुकों के लिए गेट औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ उन्हें जाना है।
- xiv) अपनी ड्यूटी के दौरान वह अनिवार्य रूप से अपने ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्र में गश्त करेगा, तैनात गार्डों द्वारा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन की जाँच और सुनिश्चित करने के लिए सभी चौकियों पर जाएगा और आवश्यकतानुसार ब्रीफिंग देगा। ऐसा करते समय वह अपनी अनुपस्थिति में गेट की गतिविधियों की ज़िम्मेदारी मुख्य द्वार रक्षक को सौंपेगा।
- xv) वह सुनिश्चित करेगा कि सभी फोन कॉल तुरंत प्राप्त हों और जहाँ आवश्यक हो, संबंधित संदेश नोट कर लिया जाए और जब भी वे उपलब्ध हों, संबंधित व्यक्तियों/अधिकारियों को भेज दिया जाए।
- xvi) गश्त के दौरान सुरक्षा गार्डों की सतर्कता के अलावा, लाइट, फिटिंग, बाड़ आदि की जाँच करेगा। जब भी उसे कोई खुली/ठीली बिजली की फिटिंग दिखाई दे, तो वह तुरंत बिजली ठेकेदार और केयरटेकर को सूचित करेगा और संबंधित शिकायत पुस्तिका में अवलोकन दर्ज करेगा।
- xvii) वह अपनी अनुपस्थिति की अवधि के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाँच करेगा और किसी भी अनियमितता को देखने पर, वह केयरटेकर और फिर सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करेगा।
- xviii) अपनी ड्यूटी समाप्त होने पर वह निजी सुरक्षा गार्डों/निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों को अपनी शिफ्ट के दौरान किए गए सभी कार्यों/कर्तव्यों और यदि कोई लंबित कार्य हो तो उसकी जानकारी देगा।
- xix) पर्यवेक्षक का मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क में रहना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। बैंक इस संबंध में कोई खर्च वहन नहीं करेगा।
- xx) वह नियमित रूप से बाहरी परिसर का चक्कर लगाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा पड़ोसी भवनों/ढांचों से या किसी भी नए निर्माण के दौरान अतिक्रमण का कोई प्रयास न हो। अतिक्रमण की किसी भी घटना की सूचना वह तुरंत केयरटेकर और संबंधित कॉलोनी के सुरक्षा प्रभारी लोक परिवहन एवं सुरक्षा अधिकारी को देगा।
- xxi) बैंक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।

7. सुरक्षा गार्डों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां:-

- i) वे अपने ड्यूटी शुरू होने के समय से दस मिनट पहले ड्यूटी पर उपस्थित होंगे और अच्छी तरह से तैयार होकर आएंगे।
- ii) सुरक्षा पर्यवेक्षक द्वारा दी गई जानकारी के बाद, वे उस दिन दिए गए निर्देशों के संबंध में यदि कोई संदेह हो तो उसे दूर करेंगे।
- iii) सुरक्षा चौकियों पर तैनात निजी सुरक्षा गार्ड सतर्क रहें और अपनी चौकियों पर उपलब्ध रहें। नियमित रूप से गश्त की जाए और उसका समयवार रिकॉर्ड रखा जाए।
- iv) वे प्रवेश/निकास द्वारों के साथ-साथ कॉलोनी के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि पाए जाने पर तुरंत ड्यूटी पर मौजूद पर्यवेक्षक को सूचित करेंगे।
- v) ड्यूटी पर रहते हुए वे कर्मचारियों, निवासियों और मेहमानों, विशेषकर महिलाओं के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे और काम में अनावश्यक बाधा नहीं डालेंगे।

- vi) सार्वजनिक क्षेत्रों, खुले स्थानों, पार्किंग क्षेत्रों और चारदीवारी की नियमित रूप से पैदल गश्त करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में, पहले सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करें और साथ ही पर्यवेक्षक को इसकी सूचना दें।
- vii) नौकरानियों, ड्राइवरो, रसोइयों, डिलीवरी कर्मियों और सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और सत्यापन करें। विक्रेताओं के पहचान पत्रों की जाँच करें और अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें।
- viii) रात में निर्धारित समय के बाद कॉलोनी के मुख्य द्वार को ताले से बंद कर दें।
- ix) ठेकेदारों और मजदूरों के आने-जाने पर नज़र रखें। परिसर में आने या जाने वाली सामग्रियों की जांच वैध सामग्री पास के साथ करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना कार्यवाहक को दें।
- x) किसी भी गार्ड को, विशेषकर रात्रि ड्यूटी पर तैनात गार्ड को, सोते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। यदि ड्यूटी के दौरान सोते हुए पाया जाता है, तो गार्ड को आरबीआई की सभी संपत्तियों से हटा दिया जाएगा और सुरक्षा एजेंसी पर नियमों और शर्तों में उल्लिखित दंड प्रावधान के अनुसार आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
- xi) मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड आने-जाने वाले कर्मचारियों/आगंतुकों/ठेकेदारों/मजदूरों आदि की जाँच करेंगे। पुरुष ठेकेदारों और मजदूरों की तलाशी ली जाएगी। घरेलू सहायिकाओं (महिलाओं) के निजी सामान की चोरी/लूटपाट से बचाव के लिए शारीरिक जाँच की जा सकती है।
- xii) मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड सभी आगंतुकों, वाहनों के लिए एक लॉगबुक रखेगा और घरेलू सहायकों, ठेकेदारों, मजदूरों आदि के मामले में एक अलग लॉगबुक रखेगा।
- xiii) अनुबंध में निर्धारित या बैंक द्वारा सामान की आवाजाही के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित गेट पास के बिना कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। उपर्युक्त प्राधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर और टेलीफोन नंबर सुरक्षा कर्मियों के पास उपलब्ध होंगे।
- xiv) ड्यूटी पर तैनात गार्ड बैंक परिसर के भीतर स्थित पार्किंग स्थलों में खड़ी सभी गाड़ियों पर नज़र रखेंगे।
- xv) उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवारा कुत्ते और मवेशी परिसर में प्रवेश न करें।
- xvi) उन्हें मौके पर उपलब्ध अग्निशामक सिलेंडरों और अन्य अग्निशमन सामग्री की सहायता से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में अग्निशमन कर्मचारियों की सहायता भी करेंगे।
- xvii) आपातकालीन स्थितियों में, वे बैंक की आपदा योजना (यदि कोई हो) में परिभाषित अपनी भूमिका के अनुसार भी भाग लेंगे। उन्हें ऐसी स्थितियों में अपनी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- xviii) ड्यूटी पर तैनात कोई भी निजी सुरक्षा गार्ड तब तक परिसर नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका रिलीवर ड्यूटी पर रिपोर्ट न कर दे।
- xix) बैंक द्वारा बाद में सलाह दी गई कोई अन्य व्यवस्थाएँ भी समझौते में शामिल की जा सकती हैं। वे व्यवस्थाएँ भी एजेंसी पर बाध्यकारी होंगी।
- xx) सुरक्षा में सुधार के लिए बैंक द्वारा दिया गया कोई अन्य संबंधित कार्य।

8. पार्किंग सहायकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां: -

आरबीआई कार्यालय में पार्किंग सहायकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी: -

- i) आरबीआई के कर्मचारियों, आगंतुकों, वीआईपी और ठेकेदारों को निर्धारित पार्किंग स्थलों तक मार्गदर्शन करें।
- ii) उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करें।

- iii) भीड़भाड़ को रोकें और वाहनों के सुचारू प्रवेश और निकास को बनाए रखें, विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान।
- iv) केवल अधिकृत क्षेत्रों में ही पार्किंग की अनुमति दें; अनधिकृत या दोहरी पार्किंग को रोकें।
- v) उच्च पदस्थ अधिकारियों के वाहनों को संभालते समय विवेक और व्यावसायिकता बनाए रखें।
- vi) अधिकृत वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए गेट पर सुरक्षा कर्मचारियों के साथ समन्वय करें।
- vii) यातायात अवरोधों से बचने के लिए आंतरिक यातायात प्रवाह को विनियमित करें।
- viii) वीआईपी काफिलों, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के प्रबंधन में सुरक्षा कर्मियों की सहायता करना।
- ix) यह सुनिश्चित करें कि अग्निशमन मार्ग, आपातकालीन निकास और आरक्षित पार्किंग स्थल बाधरहित रहें।
- x) पूरी शिफ्ट के दौरान पार्किंग क्षेत्र का नियमित रूप से चक्कर लगाएं।
- xi) किसी भी सुरक्षा संबंधी खतरे, तेल रिसाव, टूटे हुए फर्श चिह्नों या प्रकाश व्यवस्था संबंधी समस्याओं की पहचान करें और उनकी रिपोर्ट करें।
- xii) पार्किंग स्थल की स्वच्छता सुनिश्चित करें; सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए हाउसकीपिंग विभाग से समन्वय करें।
- xiii) निष्कासन।
- xiv) आरबीआई कर्मचारियों और आगंतुकों को पार्किंग स्थल दूंदने में विनम्रतापूर्वक सहायता करें।
- xv) बुजुर्ग या दिव्यांग आगंतुकों को पार्किंग क्षेत्रों से सुरक्षित आवागमन के लिए सहायता प्रदान करें।
- xvi) किसी भी असामान्य या संदिग्ध वाहन की सूचना सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा अधिकारी को दें।
- xvii) ढके हुए और आरक्षित पार्किंग स्लॉट के उपयोग को अधिकृत करने की निगरानी करें।
- xviii) वाहन खराब होने, दुर्घटना होने या विवाद होने की स्थिति में सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें।
- xix) पार्किंग के ऊपर।
- xx) आधिकारिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, उच्च स्तरीय बैठकों आदि के दौरान भीड़/यातायात नियंत्रण/प्रबंधन में सहायता करना।
- xxi) बैठकें और राष्ट्रीय समारोह।
- xxii) सुनिश्चित करें कि पार्किंग क्षेत्र में अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन द्वार और संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों।
- xxiii) दृश्यमान और अबाधित।
- xxiv) वाहनों और लोगों को सुरक्षित रूप से निर्देशित करके आपातकालीन निकासी के दौरान सहायता करना।
- xxv) वाहनों से ईंधन रिसाव, धुआं या असामान्य गंध की सूचना तुरंत दें।
- xxvi) हर समय अनुशासित और विनम्र व्यवहार बनाए रखें।
- xxvii) आधिकारिक संचार को छोड़कर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें।
- xxviii) गोपनीयता बनाए रखें, विशेष रूप से वीआईपी आवागमन और आधिकारिक कार्यक्रमों के संबंध में।

खंड - जे

सुरक्षा संहिता

1.	प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण, जिनमें पर्याप्त मात्रा में कीटाणुरहित पट्टियाँ और रुई शामिल हैं, आसानी से सुलभ स्थान पर रखे जाने चाहिए।
2.	यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना विलंब किए सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3.	कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते, दस्ताने और फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
4.	ठेकेदार वैधानिक मानदंडों के अनुसार काम करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएगा।
5.	कार्य निष्पादन के दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
6.	विक्रेता अपने द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों के लिए कोविड-19 से संबंधित सभी उपाय/सावधानियां अपनाएगा, जैसे कि मास्क जारी करना और हर समय मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना आदि, जैसा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो ये शर्तें मुझ पर/हम पर बाध्यकारी रहेंगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर और मुहर

पता:

तारीख:

अनुभाग: K- मात्राओं की अनुसूची

हैदराबाद में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और उसकी अन्य संपत्तियों पर निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों की तैनाती।

तालिका 1: यह केवल उदाहरण के लिए है और मूल्य बोली को भाग I - तकनीकी बोली के साथ जमा नहीं किया जाना चाहिए। इसे MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए और भाग II के साथ कोई संलग्नक नहीं होना चाहिए।

Sl. No.	<i>Description of Work- Deployment of Private Security Supervisors, Private Security Guards and Private Parking Assistants at Bank's Main Office Premises and its other Properties at Hyderabad</i>
	NOTE: Wage component -The bidder may quote equal to or higher than the below mentioned amount, but not lower , in MSTC website. Service Charges Component - The bidder may quote his desired and reasonable amount for the overhead and service charge in MSTC website.

A.	WAGE COMPONENT: – Gross Wages of total workmen for 12 months: The amount is inclusive of Basic Wages (Minimum) (plus Variable Dearness Allowance) Private Security Guard (Unskilled) and Security Supervisors (Highly-Skilled) and Parking Attendants(Unskilled) according to Minimum Wages Act of Government of India, applicable Employees State Insurance (ESI), Employees Provident Fund (EPF), and					
Bonus.						
S/ n	Category	Number of Guards/ Supervisors	No. of days in a year	Total Minimum Wages per-month per person	Total minimum wages per annum (in Rupees)	Total amount for 12 months(excl of GST)
1.	Private Security Guard at Residential Colonies	56	365	32,032	2,15,25,504	Quoted rate should be minimum ₹ 2,76,76,272 /- excluding GST in MSTC website.
2.	Private Security Supervisor at Residential Colonies	04	365	41,852	20,08,896	
3.	Private Security Guards at Main Office Premises	07 (04 Male and 03 Female)	313	27,456	23,06,304	
		03 (02 Male and 01 Female)	261	23,532	8,47,152	
4.	Parking Attendants at Main Office	03	313	27,456	9,88,416	
B	SERVICE CHARGES COMPONENT – Contractor's Profit, Insurance charges (Workmen Compensation Policy, Contractors All Risk policy and Third-Party Liability Policy), any other expenses as applicable. (A minimum of 3.00% should be quoted)(Only Numerical Value up to two decimal point to be entered)			Quoted rate should be excluding GST in MSTC website.		
C	Grand Total amount = 1.18* X (A+B) *GST @ 18 % applicable on both A and B			1.18 * (A+B)		

➤ Bidders must keep in mind the following:

- The price should be quoted for one year.
- While quoting wage component that if they quote lower than the minimum amount, they shall be liable for **disqualification**.
- While quoting Service Charges, they should include all expenditure on providing managerial supervisory/ administrative services to get the work done through their deployed Security Staff.
- Offering "zero"/ irrational/ unreasonable/ unworkable quotes shall be liable for **disqualification**.

Table:2 Calculation sheet for arriving rate per person per day inclusive of Basic Wages (Minimum) (plus Variable Dearness Allowance) according to Minimum Wages Act of Government of India, applicable statutory payments Employees State Insurance (ESI), Employees Provident Fund (EPF), and Bonus.

Sr. No	Components	Private Security Guard	Private Security Supervisor	Private Security Guards at Main Office Premises		Parking Attendants
1.	Basic Wages plus VDA per day w.e.f. 01 Oct 2025	981	1304.73	981	981	981
2.	For 26/22 days on ser no 1	25506 (*26 days)	33923 (*26 days)	25506 (*26 days)	21582 (*22 days)	25506 (*26 days)
3.	Employer Contribution of ESI@3.25% of ser no 02 (NA if ser no 02 exceeds Rs. 21000/-)	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Employer Contribution of EPF @ 13% of ser no 2 including EDLI and Admin charges (Maximum Ceiling of Rs. 15,000/-)	1950	1950	1950	1950	1950
5.	<u>Bonus @ 8.33% of ser no 02 (NA if ser no 2</u>	NA	NA	NA	NA	NA

	<u>exceeds Rs. 21,000/-)</u>					
6.	Sub Total	27456	35873	27456	23532	27456
7.	Relieving Charges (1/6 of Ser no 06)	4576	5979	NA	NA	NA
8.	Base Rate Per Person Per Month	32032	41852	27456	23532	27456

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी (साथ ही विनिवेश भत्ता) की दरें 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगी। इन वैधानिक दरों जैसे न्यूनतम मजदूरी, विनिवेश भत्ता, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जीएसटी आदि में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भविष्य में की जाने वाली कोई भी वृद्धि या कमी दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगी और बैंक द्वारा तदनुसार भुगतान किया जाएगा।
- वैधानिक भुगतान, जैसे कि ईपीएफ और ईएसआई, संबंधित अधिकारियों - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम - द्वारा निर्धारित नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार गणना किए जाते हैं।
- बोनस की गणना 01.04.2014 से प्रभावी नवीनतम संशोधन के अनुसार की जाती है।



भारतीय रिजर्व बैंक
शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष
हैदराबाद
भाग II
(वित्तीय बोली)

हैदराबाद स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और उसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी

S.No	Description of Item	Rate to be quoted in MSTC per year
1.	Wage Component- Basic Wages (Minimum) (plus Variable Dearness Allowance) according to Minimum Wages Act of Government of India, applicable statutory payments Employees State Insurance (ESI), Employees Provident Fund (EPF), and Bonus (excluding GST @ 18 %) (As per Details Arrived from Annexure-A Ser No 11)	₹. XXXXXXXXXX.
2.	Service Charges Component – Contractor's Profit, Insurance charges (Workmen Compensation Policy, Contractors All Risk Policy and Third-Party Liability Policy), Uniform Charges, any other expenses as applicable (excluding GST @ 18 %)(A minimum of 3.00% should be quoted)(Only Numerical Value up to two decimal point to be entered)	₹. Rates to be quoted in MSTC
3.	Total amount = 1.18*(Ser.No 1 + Ser.No 2) *GST @ 18 % applicable on Ser.No 1 and Ser.No 2	₹. XXXXXXXXXX

सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों की तैनाती के लिए निविदा

(महत्वपूर्ण: भरी हुई गणना शीट अपलोड न करें, यह केवल संदर्भ के लिए है। केवल MSTC से डाउनलोड की गई एक्सेल फ़ाइल को ही मूल्य बोली में अपलोड करें।)

स्थान:

ठेकेदार का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

उक्त कार्य के लिए निर्धारित दरों को तकनीकी दस्तावेजों के साथ अपलोड न करें

A. Wage Component- Basic Wages (Minimum) (plus Variable Dearness Allowance) according to Minimum Wages Act of Government of India, applicable statutory payments Employees State Insurance (ESI), Employees Provident Fund (EPF), and Bonus (excluding GST @ 18 %)

Sr. No	Components	Private Security Guard	Private Security Supervisor	Private Security Guards at Main Office Premises		Parking Attendants
				Rates to be quoted in MSTC	Rates to be quoted in MSTC	
1.	Basic Wages plus VDA per day w.e.f. 01 Oct 2025	Rates to be quoted in MSTC				
2.	For 26/22 days on ser no 1	This will be automatically calculated as (26*Rate quoted above)	This will be automatically calculated as (26*Rate quoted above)	This will be automatically calculated as (26*Rate quoted above)	This will be automatically calculated as (22*Rate quoted above))	This will be automatically calculated as (26*Rate quoted above)
3.	Employer Contribution of ESI@3.25% of ser no 02 (NA if ser no 02 exceeds Rs. 21000/-)	This will be automatically calculated in MSTC				
4.	Employer Contribution of EPF @ 13% of ser no 2 including EDLI and Admin charges (Maximum Ceiling of Rs. 15,000/-)	Rates to be quoted in MSTC (Minimum ₹1950/- should be quoted)	Rates to be quoted in MSTC (Minimum ₹1950/- should be quoted)	Rates to be quoted in MSTC (Minimum ₹1950/- should be quoted)	Rates to be quoted in MSTC (Minimum ₹1950/- should be quoted)	Rates to be quoted in MSTC (Minimum ₹1950/- should be quoted)
5.	<u>Bonus @ 8.33% of ser no 02 (NA if ser no 02 exceeds Rs. 21,000/-)</u>	This will be automatically calculated in MSTC				

6.	Sub Total (Sl. No 02 to 05)	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC
7.	Relieving Charges (1/6 of Ser no 06)	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
8.	Total rate per person for 26/ 22 days (Sl. No 2 to 7)	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC	This will be automatically calculated in MSTC
9.	Number of Staff	56	04	07	03	03
10	Total Wages per annum Excluding GST {(Ser.No 8) x (Ser No. 9) x 12}	This will be automatically calculated in MSTC (i)	This will be automatically calculated in MSTC (ii)	This will be automatically calculated in MSTC (iii)	This will be automatically calculated in MSTC (iv)	This will be automatically calculated in MSTC (v)
11.	Wage Component Total excluding GST(This Value to be reflected in Part-II for S.No.1)	(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)				

तकनीकी मूल्यांकन

यदि दो से अधिक तकनीकी रूप से योग्य विक्रेताओं की बोली की कीमत समान हो, तो अनुबंध प्रदान करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन मानदंड पर विचार किया जाएगा।

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली जानकारी	द्वारा भरा जाना है बोली लगाने वाला	कार्यालय उपयोगार्थ
1.	पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार (करोड़ में), वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित।		
2.	सुरक्षा सेवाओं के संचालन का अनुभव (वर्षों में)		
3.	कार्यरत कर्मचारी		
4.	सार्वजनिक सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैध लाइसेंस (हां/ना)		
5.	अनुभव से संबंधित विवरण		
6.	बैंकर्स ओपिनियन रिपोर्ट संलग्न है (हां/ना)		
7.	प्रशिक्षण अवसंरचना प्रशिक्षण संस्थान का पता और उपलब्ध क्षेत्र		
8.	पर्यवेक्षी कर्मचारियों और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों/पूर्व सैनिकों की संख्या।	पूर्व सैनिक गार्ड = सुरक्षा गार्ड = पर्यवेक्षी कर्मचारी =	
9.	क्या आपकी कंपनी कभी ब्लैकलिस्ट हुई है? (हां/ना)		
10.	ईएमडी संलग्न है (हां/ना)		
11।	दस्तावेज संलग्न हैं (हां/ना)		
12.	त्वरित प्रतिक्रिया टीम (हाँ/नहीं) और उसका विवरण।		

नोट: प्रदान की गई जानकारी के सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(बोलीदाता का नाम और पता)

टेलीफ़ोन न

अनुलग्नक 1 (क)

निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट 1 के अतिरिक्त, निविदाकर्ता की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी मूल्यांकन मानदंड पर विचार किया जाएगा।

नोट:- एक से अधिक एल1 बोली प्राप्त होने की स्थिति में, निविदाकर्ताओं का मूल्यांकन नीचे उल्लिखित तकनीकी मापदंडों के आधार पर किया जाएगा और बोली उस निविदाकर्ता को दी जाएगी जिसका तकनीकी स्कोर अधिक होगा। निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित मापदंडों पर अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

क्रमांक	मूल्यांकन मानदंड का विवरण	अंक	टिप्पणी
1.	त्वरित प्रतिक्रिया दल की उपस्थिति: (i) क्यूआरटी के लिए समर्पित वाहन - 05 अंक (ii) क्यूआरटी में कर्मियों की संख्या - 05 अंक 01 अंक प्रति व्यक्ति, अधिकतम 05 लोगों तक सीमित। (iii) उपकरण (05 अंक): वॉकी टॉकी-02 अंक, टॉर्च-01 अंक, बल्लम-01 अंक, समर्पित मोबाइल-01 अंक।	15 (i)+(ii)+(iii)	
2.	हैदराबाद में 24x7 नियंत्रण कक्ष की उपस्थिति: (i) समर्पित कार्यक्षेत्र - 05 अंक (ii) उपकरण 05 अंक - कंप्यूटर-01, वॉकी टॉकी -02, समर्पित लैंडलाइन-01, समर्पित मोबाइल-01। (iii) नियंत्रण कक्ष में समर्पित जनशक्ति - 05 अंक - प्रति व्यक्ति 2.5 अंक, अधिकतम 02 व्यक्तियों तक।	15 (i)+(ii)+(iii)	
3.	सुरक्षा प्रशिक्षण अवसंरचना: (i) हैदराबाद में: 10 अंक प्रोजेक्टर/टीवी और कम से कम 15 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला कक्षा/सम्मेलन कक्ष (4 अंक)। पाठ योजनाएँ (2 अंक), प्रशिक्षण रिकॉर्ड (2 अंक), प्रशिक्षक (2 अंक)। (ii) हैदराबाद के अंदर या बाहर स्थित बाहरी प्रशिक्षण सुविधा (10 अंक) मैदान-02 अंक, ड्रिल स्क्वायर 02 अंक, व्यायामशाला-02 अंक निहत्थे युद्ध-02 अंक कंप्यूटर कक्षाएं-02 अंक।	20 (i) + (ii)	
4.	अखिल भारतीय उपस्थिति: निविदाकर्ता को प्रत्येक राज्य के वैध पीएसएआरए लाइसेंस प्रस्तुत	10	

	करने के लिए 01 अंक आवंटित किया जाएगा , जो अधिकतम 10 राज्यों तक सीमित है।		
5.	अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति: निविदाकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों (सार्क देशों के अलावा) के वैध प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक प्रमाण के लिए 01 अंक आवंटित किया जाएगा, हालांकि, यह अधिकतम 10 देशों तक सीमित है।	10	
6.	अन्य आरबीआई कार्यालयों में संतोषजनक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदाकर्ता को प्रत्येक कार्यालय के लिए 1 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 10 तक। अन्य आरबीआई कार्यालयों में ब्लैकलिस्ट की गई एजेंसियां अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी।	10	
7.	केंद्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि जैसे बड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले निविदाकर्ताओं को प्रत्येक के लिए 01 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 10 तक सीमित।	10	
8	भारत भर में फैली बड़ी आवासीय कॉलोनियों (प्रति कॉलोनी 550 से अधिक यूनिट) में संतोषजनक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले निविदाकर्ताओं को प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा । संतोषजनक सेवाओं का प्रमाण पत्र कॉलोनी के निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम 10 निविदाएं स्वीकार्य हैं।	10	
	कुल मार्क	100	

ANNEXURE – II

**Details of the work executed during the last 5 years ending
on December 31, 2025 as per the eligibility criteria**

क्र. सं.	Name of the work & location	Nature & Description of work	Name & address of the owner for whom work was carried out (Details of contact person with Phone number shall be furnished)	The name and full address of the officer under whom the work was carried out.	Value of the work in ₹	Whether work completed intime. If not reason for the delay	Date of start and completion - Proof for satisfactory completion of the work should be attached (signed by the competent person)
1	2	3	4	5	6	7	8

Place and Date:
contractor/firm with name and address & Seal

Signature of the

[Scanned copy (in pdf format) of this Annexure duly filled, to be uploaded with tender

ग्राहक द्वारा ठेकेदार के प्रदर्शन का प्रमाण पत्र

क्षेत्रीय निदेशक
सम्पदा विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
सचिवालय रोड, सैफाबाद
हैदराबाद-500004

ग्राहक का नाम और पता:

श्रीमती/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1.	कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण	
2.	अनुबंध संख्या और तिथि	
3.	अनुबंध की राशि	
4.	कार्य शुरू करने की तारीख	
5.	निर्धारित पूर्णता तिथि	
6.	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	
7.	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि का उल्लेख करें, यदि कोई हो) ।	
8.	पूर्ण किए गए कार्य की कुल राशि और भुगतान की गई राशि	
9.	जिस प्राधिकारी के अधीन कार्य निष्पादित किए गए , उसका नाम और पता	
10.	क्या ठेकेदार नियोक्ता योग्य था कार्य निष्पादन के दौरान इंजीनियर/पर्यवेक्षक ?	
11.	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएँ) ii) यदि कोई कार्य कम दरों पर किया गया हो , तो उसकी राशि।	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/ खराब
12.	i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया ? ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि क्या है ? iii) कुल प्रदान की गई राशि	
13.	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ	

a) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/ खराब
b) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/ खराब
c) पर्याप्त मात्रा में सामग्री एवं सामग्री जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/ खराब
d) मानव संसाधन जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/ खराब
e) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/ खराब

नोट: सभी कॉलम रिपोर्टिंग अधिकारी या कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए और उन पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन/पूर्णता प्रमाण पत्र ऊपर निर्दिष्ट प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में हो सकते हैं, लेकिन प्रमाण पत्रों में ऊपर मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों में ऊपर मांगी गई जानकारी नहीं है, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रदर्शन सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जो जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदा गया हो)

स्थान

तारीख.....

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
सचिवालय रोड, सैफबाद
हैदराबाद-500004

महोदया/महोदय,

हैदराबाद स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर और उसकी अन्य संपत्तियों में निजी सुरक्षा पर्यवेक्षकों, निजी सुरक्षा गार्डों और निजी पार्किंग सहायकों की तैनाती।

जबकि

भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा गया है) ने उपर्युक्त परियोजना का अनुबंध (जिसे आगे "अनुबंध" कहा गया है) मेसर्स (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट भी शामिल होंगे) को प्रदान किया है।

और चूंकि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत आरबीआई को अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के विधिवत पालन के लिए कुल ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) की निष्पादन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है। हम, _____ (ठेकेदार का नाम)

बैंक (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), ठेकेदार मेसर्स के अनुरोध पर, एतद्वारा आरबीआई को अनुबंध की शर्तों और नियमों के विधिवत पालन के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में ₹ _____ से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देता है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम _____ (बैंक) का
नाम) एतद्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों और असाइनियों के साथ सहमत होते हैं और उन्हें वचन

देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने उक्त अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा; तो हम आरबीआई की मांग पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ _____ (केवल _____ रुपये) या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के समतुल्य मानी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देयता ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक की राशि, आरबीआई द्वारा लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, जिसमें राशि देय बताई गई हो, हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के भुगतान कर देंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई और प्रमाण या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और हम किसी भी तरह से इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक, ठेकेदार द्वारा किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद, आरबीआई को मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम उपर्युक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

हम इसके द्वारा आगे इस बात से भी सहमत हैं कि –

- क) उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई या चूक, या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का समय देना या रियायत दिखाना, या इससे संबंधित कोई अन्य मामला, हमें किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के पालन से ही पूर्ण होगी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करने पर ही पूर्ण होगी।
- ब) इन दस्तावेजों के तहत हमारी देनदारी ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी।
- ग) इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी प्रकार की अक्षमता या अनियमितता या उनके दायित्वों से, या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संरचना में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
- घ) यह गारंटी _____ (दोष दायित्व अवधि के बाद 60 दिन) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को आगे की अवधि के लिए, इसमें निहित समान नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा

सकता है।

- e) इन शर्तों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन शर्तों का नवीनीकरण ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार _____ को या उस दिन नहीं हो जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा जारी लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा, इनमें से जो भी तिथि बाद में हो। जब तक _____ या किसी विस्तारित अवधि के भीतर हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इस समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके प्रमाण स्वरूप, मैं/हम बैंक की ओर से _____ (महीना) (वर्ष) के _____ दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगा चुके हैं, और इसके द्वारा विधिवत अधिकृत हैं।

_____ (बैंक का नाम) की ओर से और उसके लिए

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम:

बैंक की मुहर/सील

बैंक की ओर से उपर्युक्त नाम के व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू विधिवत स्टाम्प की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)।

बैंकों का विवरण
(निविदाकार के पत्रशीर्ष पर दिया जाना है)

विवरण	बैंकर
खाता नंबर	
खाते का प्रकार :	
बैंक का नाम और पूरा डाक पता :	
आई०ऍफ़०एस० कोड	
संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी आदि।	
क्या एजेंसी द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है ?	
वह अवधि जिसके दौरान एजेंसी बैंकर के साथ लेन-देन कर रही है ।	
विक्रेता द्वारा अपने बैंकर के बारे में दी जाने वाली कोई अन्य जानकारी ।	

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

(नाम/पदनाम और मुहर सहित)

निविदाकर्ता द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने वाला वचन पत्र

कार्य का नाम:

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि
 - क) मेरा/हमारा रिकॉर्ड बेदाग है। मैं/हम या हमारी कोई भी सहयोगी फर्म* किसी भी अवैध गतिविधि/वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं रही है। मुझे/हमें किसी भी आधार पर न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया गया है। मेरे/हमारे खिलाफ पुलिस/अदालत/नियामक प्राधिकरणों के पास ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है।
 - ख) मुझे/हमें या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* को किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए अभियोजित नहीं किया गया है या कोई दंड नहीं भुगतना पड़ा है।
 - ग) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था द्वारा (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्टेड नहीं है।
या
मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म* {संबद्ध फर्मों का नाम} को (भारत या किसी अन्य देश में स्थित सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया गया है और यह निलंबन दिनांक तक प्रभावी रहेगा। इस पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।
 - घ) मैंने/हमने या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* ने भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में पिछले तीन वर्षों में (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक कोई उल्लंघन नहीं किया है।
 - ई) मैं/हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मुझे/हमें या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/संस्था द्वारा उक्त कार्य के लिए कार्य आवंटित किए जाने से पहले या उस तिथि पर प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया जाता है।
 - च) मैंने/हमने अपने किसी भी ग्राहक द्वारा अनुबंध की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/त्याग नहीं किया है।
 - (जी) मेरे/हमारे ग्राहकों के साथ मेरे/हमारे सभी विवादों का विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(नोट: जो लागू नहीं है उसे काट दें)

*सहयोगी फर्म: किसी फर्म को "सहयोगी फर्म" तब कहा जाएगा जब उसका प्रबंधन साझा हो, या प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के पास उसमें पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर हों और इस कारण फर्म का उसमें निर्णायक अधिकार हो। इसके अतिरिक्त, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी सहयोगी फर्म माना जाएगा।